

# आपूर्ति का समय




इस अध्याय में उल्लिखित खंड हैं, यदि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से संबंधित हैं। अध्याय में दिए गए उदाहरण/चित्रण/प्रश्न और उत्तर 30.04.2025 की स्थिति के अनुसार वर्तमान जीएसटी कानून पर आधारित हैं।

## अगधिम पररणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप उस समय को पहचान सकेंगे जब जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी उत्पन्न होती है —

- ❑ उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जहाँ जीएसटी अग्रिम प्रभार (फॉरवर्ड चार्ज) के तहत देय होता है।
- ❑ उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जहाँ जीएसटी प्रतिपूरक प्रभार (रिवर्स चार्ज) के तहत देय होता है।
- ❑ उन वाउचर की आपूर्ति पर जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए विनिमेय होते हैं।
- ❑ अवशिष्ट मामलों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर।
- ❑ मूल्य वृद्धि के मामले में, जैसे कि मूल्य वृद्धि ब्याज, विलंब शुल्क/दंड के कारण हुई हो, जो भुगतान में देरी के लिए दिया गया हो।
- ❑ समस्याओं के समाधान में वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के समय से संबंधित अवधारणाओं को लागू करना।

## अध्याय का संक्षिप्त अवलोकन



## 1. परिचय

जीएसटी माल या सेवा की आपूर्ति पर देय होता है। एक आपूर्ति में ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें समय के अनुसार अलग किया जा सकता है, जैसे कि क्रय आदेश / अनुबंध, माल का प्रेषण, माल की डिलीवरी या सेवा का निष्पादन, रिकॉर्ड में प्रविष्टि, भुगतान, भुगतान की रिकॉर्ड में प्रविष्टि या बैंक में जमा।

तो, सवाल यह उठता है— उपरोक्त लेनदेन में कर की देयता किस समय उत्पन्न होती है? क्या यह उस समय देय होती है जब माल भेजा जाता है, या जब माल भेजा जाता है या सेवा प्रदान की जाती है, या जब चालान जारी किया जाता है, या जब भुगतान किया जाता है? यदि माल एक निश्चित अवधि में भेजे जाएं तो क्या होगा?

**कर देने की देयता उत्पन्न होने का समय**

यदि सेवा एक निश्चित अवधि के दौरान प्रदान की जाती है, तो 'समय की आपूर्ति' से संबंधित प्रावधान उन सभी एवं अन्य प्रश्नों के उत्तर प्रदान करते हैं, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी (आंतरिक राज्य आपूर्ति) या आईजीएसटी (अंतर-राज्य आपूर्ति) का भुगतान करने की देयता उत्पन्न होने के समय से सम्बंधित होते हैं। अन्य शब्दों में, समय की आपूर्ति उस समय बिंदु को दर्शाती है जब कर भुगतान की देयता उत्पन्न होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि कर भुगतान की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होती है, तथापि इसे सरकार को उक्त 'समय की आपूर्ति' के संदर्भ में निर्धारित नियत तिथियों तक भुगतान किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी आपूर्ति का समय की आपूर्ति 25 मई है, तो उस पर लगने वाला कर अधिकतम 20 जून तक भुगतान किया जाना होगा, जो सीजीएसटी अधिनियम में मासिक आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए निर्धारित अंतिम तिथि है।<sup>1</sup>

सीजीएसटी अधिनियम में माल और सेवाओं की आपूर्ति के समय के लिए क्रमशः भाग 12 और भाग 13 में पृथक प्रावधान किये गए हैं। भाग 14 में उन मामलों में समय की आपूर्ति निर्धारित करने की विधि दी गई है जहाँ माल या सेवा की आपूर्ति पर कर दर में परिवर्तन होता है।<sup>2</sup> भाग 12 और भाग 13 में कर चालान जारी करने से सम्बंधित भाग 31 के प्रावधानों को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया गया है। अतः इस अध्याय को अध्याय 10: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स, जो इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 में विस्तार से वर्णित है, के प्रावधानों के साथ एकसाथ पढ़ना उपयोगी होगा।

आगे के प्रभार के अंतर्गत आपूर्ति पर कर देय होने के समय का निर्धारण करने के लिए चालान जारी करने, भुगतान प्राप्ति, सेवा प्रदान करने, खातों में सेवा प्राप्ति जैसे घटनाओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। जब कर की देयता प्रतिवर्ती प्रभार के अंतर्गत होती है, तो आपूर्ति पर कर देय होने के समय का निर्धारण करने के लिए माल या सेवा की प्राप्ति की तिथि, भुगतान करने की तिथि, चालान जारी करने की तिथि आदि घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। समय की आपूर्ति से संबंधित प्रावधान मूलतः कर संग्रहण की घटना को सबसे पहले संभव समय से निर्धारित करते हैं।

इस अध्याय के आगामी पृष्ठों में, भाग 12 और 13 को उद्धृत किया गया है, जिसके बाद उनके विश्लेषण के माध्यम से माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के समय का निर्धारण कैसे किया जाए, इसे समझाया गया है। विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते समय, प्रयुक्त शब्दों के सटीक अर्थ को समझने के लिए परिभाषाओं (जो पहले उद्धृत की गई हैं) का भी एक साथ संदर्भ लेना आवश्यक है।

<sup>1</sup> कर भुगतान की नियत तिथि से संबंधित प्रावधान इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 के अध्याय 13: कर भुगतान में चर्चा किए गए हैं।

<sup>2</sup>


वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर में परिवर्तन की स्थिति में आपूर्ति के समय के निर्धारण से संबंधित भाग 14 के प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी।

अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति के समय के प्रावधानों को आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 के माध्यम से आईजीएसटी अधिनियम पर भी लागू किया गया है।




## 2. प्रासंगिक परिभाषाएँ

- ❑ **संबद्ध उद्यम** का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 92ए में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा [भाग 2(12)]।  
व्यापक रूप से, किसी उद्यम के संबंध में संबद्ध उद्यम का तात्पर्य उस उद्यम से है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, या एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से, दूसरे उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भागीदारी करता हो।
- ❑ **दस्तावेज़** में किसी भी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की भाग 2 की उपखंड (ट) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं [भाग 2(41)]।
- ❑ **चालान** या **कर चालान** का अर्थ उस कर चालान से है जिसका उल्लेख खंड 31 में किया गया है [भाग 2(66)]।
- ❑ **माल** का अर्थ है—मौद्रिक संपत्ति और प्रतिभूतियों को छोड़कर हर प्रकार की चल संपत्ति, परन्तु इसमें वह अधिकार (एक्शनबल क्लेम), उगती हुई फसलें, घास और वे वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी या उसका हिस्सा हैं और जिन्हें आपूर्ति से पूर्व या आपूर्ति के अनुबंध के अंतर्गत पृथक करने के लिए सहमति दी गई हो, शामिल हैं [भाग 2(52)]।



- ❑ **निर्धारित** का अर्थ है, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित [भाग 2(87)]।
- ❑ **उलटा शुल्क** का अर्थ है, सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रदाता के स्थान पर ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने की देयता, जैसा कि भाग 9 की उप भाग (3) या उपखंड (4) के अंतर्गत अथवा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की खंड 5 की उप भाग (3) या उपखंड (4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है [भाग 2(98)]।
- ❑ **सेवाएँ** का अर्थ है सामान, धन और प्रतिभूतियों के अतिरिक्त कोई भी वस्तु, किन्तु इसमें धन के उपयोग से संबंधित या उसके रूपांतरण से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, चाहे वह नकद के द्वारा हो या किसी अन्य माध्यम से, एक रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग से दूसरे रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग में, जिसके लिए पृथक विनिमय मूल्य लिया जाता है।

स्पष्टीकरण – संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “सेवाएँ” शब्द में प्रतिभूतियों में लेन-देन को सुविधा प्रदान करना या उसकी व्यवस्था करना भी शामिल है [भाग 2(102)]।




□ सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का प्राप्तकर्ता -

(क) जहाँ सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए विनिमय मूल्य देय हो, वह व्यक्ति जो उस विनिमय मूल्य के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो;

(ख) जहाँ सामान की आपूर्ति के लिए कोई विनिमय मूल्य देय न हो, वह व्यक्ति जिसे वस्तुएँ पहुँचाई जाती हैं या उपलब्ध कराई जाती हैं, या जिसे सामान का अधिकार या उपयोग दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है; और

(ग) जहाँ किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई विनिमय मूल्य देय न हो, वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की जाती है।

और किसी भी संदर्भ में जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसे आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में समझा जाएगा और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा जो प्राप्तकर्ता की ओर से सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में कार्य कर रहा हो [भाग 2(93)]।



□ **आपूर्ति कर्ता** का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के संदर्भ में उस व्यक्ति से है जो उक्त वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों प्रदान करता है और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा जो ऐसे आपूर्ति कर्ता की ओर से आपूर्ति की गई सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में कार्य करता हो।

हालाँकि, वह व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट क्रियान्वयन योग्य दावों की आपूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है, उसे ऐसी क्रियान्वयन योग्य दावों का आपूर्ति कर्ता माना जाएगा, चाहे ऐसी क्रियान्वयन योग्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से आपूर्ति किए जाएँ, और चाहे ऐसी क्रियान्वयन योग्य दावों की आपूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसमें आभासी डिजिटल संपत्ति शामिल हैं, का भुगतान या हस्तांतरण उसके द्वारा या उसके माध्यम से किया गया हो या किसी भी प्रकार से उसकी पहुँच में रखा गया हो। और इस अधिनियम की सभी व्यवस्थाएँ ऐसे निर्दिष्ट क्रियान्वयन योग्य दावों के आपूर्ति कर्ता पर लागू होंगी, मानो वह आपूर्ति कर्ता उस आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है। भाग 2(105)]

किसी भी वस्तु और/या सेवा के संदर्भ में सप्लाई कर्ता


**अर्थात्** - वह व्यक्ति जो उक्त वस्तुएँ और/या सेवाएँ प्रदान करता हो।

और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा जो ऐसे आपूर्ति कर्ता की ओर से सामान और/या सेवाओं के संबंध में कार्य करता हो।


- **वाउचर** का अर्थ है - वह साधन जिसमें सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए उसे विनिमय मूल्य या आंशिक विनिमय मूल्य के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता होती है और जिसमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों, या उनके संभावित आपूर्ति कर्ताओं की पहचान या तो स्वयं उस साधन पर या संबंधित दस्तावेजों में, जिसमें उस साधन के उपयोग की शर्तें शामिल हों, प्रदर्शित होती है [भाग 2(118)]।



### 3. सामान की आपूर्ति का समय [भाग 12]

 कानूनी प्रावधान	
<b>भाग 12</b>	सामान की आपूर्ति का समय
<b>उप भाग</b>	<b>अनुच्छेद</b> <span style="float: right;"><b>विवरण</b></span>
<b>(1)</b>	सामानपर कर भुगतान की देयता उस समय उत्पन्न होगी जब आपूर्ति का समय इस खंड के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

<b>(2)</b>	सामानकी आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जो तिथि पहले आएगी, वह होगी, अर्थात्:-	
	(क)	आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन उसे भाग 31 के अंतर्गत आपूर्ति के संबंध में चालान जारी करना आवश्यक है, जो भी पहले आए; या
	(ख)	उस तिथि को जब आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति <sup>3</sup> के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है।
	यदि कर योग्य सामान के आपूर्तिकर्ता को कर चालान में दर्शाई गई राशि से अधिक, एक हजार रुपये तक की राशि प्राप्त होती है, तो उस अतिरिक्त राशि के संबंध में आपूर्ति का समय, उक्त आपूर्तिकर्ता के विकल्पानुसार, उस अतिरिक्त राशि के लिए चालान जारी करने की तिथि माना जाएगा।	
स्पष्टीकरण 1: खंड (ए) और (बी) के प्रयोजनों के लिए, "आपूर्ति" को उस सीमा तक की गई मानी जाएगी, जितनी सीमा तक वह चालान द्वारा या, जहाँ लागू हो, भुगतान द्वारा सम्मिलित है।		
स्पष्टीकरण 2: खंड (बी) के प्रयोजन के लिए, "उस तिथि को जब आपूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होता है" उस तिथि को कहा जाएगा जब भुगतान उसके खाता पुस्तकों में दर्ज किया जाता है या वह तिथि जब भुगतान उसके बैंक खाते में जमा होता है, जो भी पहले हो।		
<b>(3)</b>	उन आपूर्ति के मामले में जिन पर कर उल्टा शुल्क आधार पर भुगतान किया गया हो या देय हो, आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जो तिथि सबसे पहले हो, वह होगा, अर्थात्:-	
	(क)	सामान की प्राप्ति की तिथि, या
	(ख)	भुगतान की वह तिथि जब वह प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज किया गया हो या वह तिथि जब भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया गया हो, जो भी पहले हो, या
	(ग)	चालान या किसी अन्य दस्तावेज़ (जिसे किसी भी नाम से कहा जाए) जारी करने की तिथि के तीस दिन पूरे होने के तुरंत बाद वाली तिथि, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया हो:

<sup>3</sup>  व्यवहारिक दृष्टि से, सामान के मामले में, कर भुगतान के लिए आपूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तिथि अब मानदंड नहीं रही। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा के लिए आगामी पृष्ठों में दी गई भाग 12 के 'विश्लेषण' को देखें।

	यदि खंड (क), (ख), या (ग) के अंतर्गत सप्लाई का समय निर्धारित करना संभव न हो, तो सप्लाई का समय प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज करने की तिथि होगा।	
(4)	यदि सप्लाईकर्ता द्वारा वाउचर की सप्लाई की जाती है, तो सप्लाई का समय होगा:	
	(क)	यदि उस समय सप्लाई पहचानी जा सकती हो तो वाउचर जारी करने की तिथि, या
	(ख)	अन्य सभी मामलों <sup>4</sup> में, वाउचर की भुनाई की तिथि।
(5)	यदि उप भाग (2), उप भाग (3) या उप भाग (4) के प्रावधानों के अंतर्गत सप्लाई का समय निर्धारित करना संभव न हो, तो सप्लाई का समय होगा—	
	(क)	ऐसे मामले में जहाँ आवधिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो, वह तिथि जिस दिन यह रिटर्न दाखिल किया जाना है; या
	(ख)	अन्य किसी भी मामले में, वह तिथि जिस दिन कर का भुगतान किया जाता है।
(6)	सप्लाई के मूल्य में किसी भी विनिमय मूल्य के विलंब भुगतान के लिए ब्याज, देर शुल्क या जुर्माने के रूप में होने वाले किसी भी वृद्धि से संबंधित सप्लाई का समय उस तिथि होगा जिस दिन सप्लाईकर्ता को ऐसी मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है।	
भाग 31 (संबंधित अंश)	कर चालान (सामान की सप्लाई के समय के संदर्भ में प्रासंगिक)	
	कर योग्य सामान की सप्लाई करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय,—	
(1)	(क)	सामान को प्राप्तकर्ता तक सप्लाई के लिए स्थानांतरित करने पर, यदि सप्लाई में सामान का परिवहन शामिल हो, या
	(ख)	अन्य किसी भी मामले में, सामान की प्राप्तकर्ता को डिलीवरी करने या उपलब्ध कराने पर,

<sup>4</sup> ध्यान देने योग्य है कि वित्त अधिनियम, 2025 ने वाउचर की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव रखा है। इस अध्ययन सामग्री के मुद्रण की तिथि तक वित्त अधिनियम, 2025 के प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। जैसे ही उक्त संशोधन लागू होगा, छात्रों को वाउचर की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

	<p>वह कर चालान जारी करेगा जिसमें सामान का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर तथा अन्य वह विवरण शामिल होगा जो निर्धारित किया गया हो।</p> <p>ध्यान रहे कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा उन सामान या आपूर्तियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके लिए कर चालान जारी किया जाना आवश्यक होगा, साथ ही ऐसा करने का समय और तरीका भी निर्धारित किया जा सकता है।</p>
(4)	<p>यदि सामान की निरंतर आपूर्ति हो, जिसमें लगातार खाता विवरण या लगातार भुगतान शामिल हों, तो चालान प्रत्येक ऐसे विवरण जारी होने से पहले या उसी समय, या जहाँ लागू हो, प्रत्येक ऐसे भुगतान प्राप्त होने से पहले या उसी समय जारी किया जाएगा।</p>
(7)	<p>उप भाग (1) में शामिल किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि बिक्री या वापसी के लिए स्वीकृति पर भेजी गई या ली गई सामान को आपूर्ति होने से पहले स्थानांतरित किया जाता है, तो चालान आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय, या स्थानांतरण की तिथि से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, जारी किया जाएगा।</p>



⚡ भाग 12 को भाग 31 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो विभिन्न परिस्थितियों में सामान की सप्लाई के लिए कर चालान जारी करने की तिथि का विस्तृत विवरण प्रदान करती है।



### विश्लेषण

भाग 12 निम्नलिखित परिस्थितियों में आपूर्ति के समय के निर्धारण का प्रावधान करती है:

- फॉरवर्ड चार्ज के तहत सामान की आपूर्ति;
- रिवर्स चार्ज के तहत सामान की आपूर्ति;
- ऐसे वाउचर की आपूर्ति जिनका उपयोग सामान के भुगतान के लिए किया जा सकता है;
- शेष मामले;
- किसी विनिमय मूल्य के विलंब भुगतान के लिए ब्याज, देर शुल्क या जुर्माने के रूप में सामान की आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि।

हम नीचे यह विचार करेंगे कि प्रत्येक स्थिति में आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है।

**(i) फॉरवर्ड चार्ज के तहत सामान की आपूर्ति का समय [भाग 12(2) को भाग 31 के साथ पढ़ें]**

भाग 12(2) के अनुसार, फॉरवर्ड चार्ज के तहत कर योग्य सामान की आपूर्ति का समय निम्नलिखित दो तिथियों में से जो पहले आए, वह होगा:

- आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन चालान भाग 31 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए था, उतनी सीमा तक जितनी चालान में सामान की आपूर्ति सम्मिलित है; या
- आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि, उतनी सीमा तक जितनी प्राप्ति में सामान की आपूर्ति सम्मिलित है।

**सामान की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राप्ति के समय कर देय नहीं – सामान की आपूर्ति के मामले में कर भुगतान की विशेष प्रक्रिया**

अधिसूचना संख्या 66/2017 सीटी, दिनांक 15.11.2017, यह निर्दिष्ट करती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति (संयोजन आपूर्तिकर्ता और निर्दिष्ट क्रियान्वयन योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर) को सामान की आउटवर्ड आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान उस समय करना चाहिए जो भाग 12(2)(ए) में निर्दिष्ट है, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन चालान खंड 31 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए था।

सरल शब्दों में, फॉरवर्ड चार्ज के तहत सभी करदाताओं (संयोजन आपूर्तिकर्ता और निर्दिष्ट क्रियान्वयन योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर) को सामान की आपूर्ति से संबंधित अग्रिम प्राप्ति के समय जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की सामान की आपूर्ति के लिए चालान जारी होने या जारी किया जाना चाहिए, तभी पूरी जीएसटी देय होगी। **इस प्रकार, कर भुगतान के उद्देश्य से सामान की आपूर्ति का समय वह तिथि होगी जब चालान जारी किया जाता है या वह अंतिम तिथि जब चालान भाग 31 के तहत जारी किया जाना चाहिए था।**

<sup>5</sup> अधिसूचना संख्या 66/2017 सीटी, दिनांक 15.11.2017, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर और भाग 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में। भाग 148 यह प्रावधान देती है कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर और निर्धारित शर्तों तथा सुरक्षा उपायों के अधीन, कुछ वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों और उनके द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रियाओं को अधिसूचित कर सकती है, जिनमें पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, कर भुगतान और ऐसे व्यक्तियों का प्रशासन शामिल है। खंड 148 के प्रावधानों पर अंतिम स्तर में चर्चा की जाएगी।



(1) ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच 100 किग्रा कच्चे सामान की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया। हालांकि, ए लिमिटेड केवल 80 किग्रा कच्चा सामान ही सप्लाई करता है और उसी के लिए चालान जारी करता है। यहाँ, सप्लाई उस 80 किग्रा कच्चे सामान के संबंध में की गई मानी जाएगी, अर्थात् जितनी सीमा तक चालान में सम्मिलित है। इसलिए, सप्लाई के समय से संबंधित प्रावधान केवल 80 किग्रा कच्चे सामान की सप्लाई पर लागू होंगे, न कि पूरे 100 किग्रा कच्चे सामान पर।



⊛ अग्रिम प्राप्ति के समय जीएसटी न देने की छूट केवल सामान की सप्लाई के मामले में उपलब्ध है, सेवाओं की सप्लाई के लिए नहीं।

### “भुगतान प्राप्ति की तिथि” का अर्थ

उपरोक्त स्थिति में “भुगतान प्राप्ति की तिथि” उस तिथि को कहा जाता है जब भुगतान प्राप्त करने वाले इकाई (सामान के आपूर्तिकर्ता) की खाता पुस्तकों में भुगतान दर्ज किया जाता है, या वह तिथि जब भुगतान उस इकाई के बैंक खाते में जमा होता है, जो भी पहले हो।

### जितनी सीमा तक चालान या भुगतान सामान की आपूर्ति को सम्मिलित करता है” का महत्व

मान लीजिए कि विनिमय मूल्य का एक हिस्सा अग्रिम में भुगतान किया गया है या चालान आंशिक भुगतान के लिए जारी किया गया है, ऐसे मामलों में आपूर्ति का समय पूरी आपूर्ति पर लागू नहीं होगा। आपूर्ति केवल उस सीमा तक की गई मानी जाएगी जो चालान या आंशिक अग्रिम भुगतान में सम्मिलित है।

हालाँकि, ध्यान देने योग्य है कि सामान के मामले में (संयोजन आपूर्तिकर्ता और निर्दिष्ट क्रियान्वयन योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर), कर केवल चालान जारी करने की तिथि/चालान जारी करने के अंतिम तिथि के आधार पर ही देय होगा, भले ही चालान जारी करने की तिथि/अंतिम तिथि से पहले कोई अग्रिम या आंशिक भुगतान प्राप्त किया गया हो।

**भाग 31 के तहत सामान की आपूर्ति के लिए चालान जारी करने की समय सीमा**

भाग 12(2) उस अंतिम तिथि का उल्लेख करती है जिस दिन आपूर्तिकर्ता को भाग 31 के अंतर्गत चालान जारी करना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में भाग 31 के प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित हैं।

- भाग 31(1) के अनुसार, चालान जारी किया जाना चाहिए या तो सामान के स्थानांतरण से **पहले या उसी समय** (यदि आपूर्ति में सामान का परिवहन शामिल हो) या सामान की प्राप्तकर्ता को डिलीवरी/उपलब्ध कराने के समय (अन्य किसी भी मामले में)।
- यदि सामान की निरंतर आपूर्ति हो, तो चालान समय-समय पर जारी किए जाने वाले विवरण/समय-समय पर प्राप्ति पर चालान जारी करने से **पहले या उसी समय** जारी किया जाना चाहिए [भाग 31(4)]।


सामान की निरंतर आपूर्ति वह सामान की आपूर्ति है, जो किसी अनुबंध के अंतर्गत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान की जाती है या प्रदान करने पर सहमति दी गई हो, और जिसके लिए आपूर्तिकर्ता नियमित या समय-समय पर चालान प्राप्तकर्ता को जारी करता है, और इसमें वह सामान शामिल है जिसे सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि वह अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, शामिल कर सकती है [खंड 2(32)]। *उक्त शब्दावली का चर्चा इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 के अध्याय 10: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स में किया गया है।*

- जहाँ सामान को बिक्री अथवा वापसी के लिए स्वीकृति पर भेजा जाता है या लिया जाता है, वहाँ चालान आपूर्ति के समय या हटाने की तिथि से 6 माह के भीतर, जो भी पहले हो, जारी किया जाना चाहिए [भाग 31(7)]।



**(2)** स्फिक्स प्रा. लि. ने 21 अगस्त को जॉय सेल्स के साथ 100 कार्यालय कुर्सियों की आपूर्ति हेतु प्रति कुर्सी 15,000 के अनुबंध में प्रवेश किया। कुर्सीयाँ 5 सितम्बर को स्फिक्स प्रा. लि. के गोदाम से हटाई गईं और उसी तिथि को चालान भी जारी किया गया। जॉय सेल्स ने कुल अनुबंध मूल्य का 30% भुगतान 21 अगस्त को कर दिया; शेष 70% भुगतान कुर्सियों की सप्लाई के पश्चात 10 सितम्बर को किया गया। चूँकि चालान सामान को हटाए जाने की तिथि को जारी किया गया है, अतः यह निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया है और इस प्रकार, ₹15,00,000 के पूरे अनुबंध मूल्य पर कर के भुगतान हेतु सप्लाई का समय चालान जारी करने की तिथि अर्थात् 5 सितम्बर होगी। 21 अगस्त को प्राप्त ₹4,50,000 की अग्रिम राशि पर किसी प्रकार का जीएसटी देय नहीं होगा।

सामान की आपूर्ति के समय से संबंधित उपबंध, जैसा कि अग्रिम प्रभार के मामले में भाग 12 में निहित है तथा अधिसूचना सं. 66/2017 – केंद्रीय कर दिनांक 15.11.2017 के साथ पढ़ा जाना है, को अगले पृष्ठ में दिए गए आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है।

अग्रिम प्रभार के अंतर्गत भाग 12 के अनुसार सामान की आपूर्ति का समयसामान के मामले में कर भुगतान हेतु विशेष प्रक्रिया<sup>6</sup>

आपूर्ति के समय जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए

→ जैसा कि भाग 12(2)(ए) में निर्दिष्ट है



→ चालान जारी करने की तिथि / भाग 31 के अंतर्गत चालान जारी करने की अंतिम तिथि

व्यावहारिक रूप से, सामान के मामले में, सामान की आपूर्ति के लिए अग्रिम राशि प्राप्त होने पर कोई जीएसटी देय नहीं होता।

<sup>6</sup> सीजीएसटी अधिनियम की भाग 48 के अंतर्गत

**चित्रण 1**

एक मशीन साइट पर सप्लाई की जानी है। इसे विभिन्न विक्रेताओं से घटक प्राप्त करके और मशीन को साइट पर असेंबल करके तैयार किया जाता है। विभिन्न घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

17 <sup>th</sup> सितंबर	मशीन के लिए ₹12 लाख मूल्य के लिए ₹50,000 की अग्रिम राशि के साथ खरीद आदेश प्राप्त होता है और यह प्रविष्टि विक्रेता की पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज की जाती है।
20 <sup>th</sup> अक्टूबर	मशीन साइट पर असेंबल की गई, परीक्षण किया गया और खरीदार द्वारा स्वीकार कर ली गई।
23 <sup>rd</sup> अक्टूबर	चालान जारी किया गया
4 <sup>th</sup> नवंबर	शेष भुगतान ₹11,50,000 प्राप्त हुआ

उपरोक्त परिदृश्य में कर भुगतान के उद्देश्य के लिए सप्लाई का समय निर्धारित करें।

**उत्तर**

सूचना संख्या 66/2017-सी.टी. दिनांक 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (रचना आपूर्तिकर्ता और निर्दिष्ट क्रियाशील दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर) को सामान की आउटवर्ड आपूर्ति पर जीएसटी उस समय पर चुकाना होगा, जो कि भाग12(2)(क) में निर्दिष्ट है, अर्थात् इनवॉइस जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन तक इनवॉइस जारी किया जाना चाहिए था, जैसा कि भाग31 में उल्लेख है।

अतः, कर भुगतान के उद्देश्य के लिए ₹12,00,000 की पूरी राशि के लिए आपूर्ति का समय वह तिथि है 20<sup>th</sup> अक्टूबर, जो वह तिथि है जब सामान प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराया गया था, जैसा कि भाग31(1)(बी) में उल्लेख है, और इनवॉइस इस तिथि तक जारी किया जाना चाहिए था [भाग12(2)(ए)]।

**उदाहरण 2**

गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्तकर्ता को सप्लाई की जाती है। यह सप्लाई एक वर्ष की अवधि के लिए की जानी है। अनुबंध के अनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा मासिक भुगतान किया जाना है। भुगतान का विवरण निम्नलिखित है:

5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर	प्रति माह ₹ 2 लाख का भुगतान किया गया।
----------------------------	---------------------------------------

कर भुगतान के प्रयोजन के लिए सप्लाई का समय निर्धारित करें।

## उत्तर

सूचना संख्या 66/2017 सीटी दिनांक 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (संयोजन आपूर्तिकर्ता और निर्दिष्ट कार्यवाही योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को छोड़कर) को सामान की बाह्य आपूर्ति पर जीएसटी उस समय भुगतान करना होगा जैसा कि भाग 12(2)(क) में निर्दिष्ट है, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि या भाग 31 के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी किए जाने की अंतिम तिथि। भाग 31(4) के अनुसार, लगातार सामान की आपूर्ति के मामले में, जहाँ क्रमागत खाता विवरण या क्रमागत भुगतान शामिल हैं, चालान प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी होने से पहले या उसी समय, या जहाँ उपयुक्त हो, प्रत्येक ऐसे भुगतान के प्राप्त होने पर जारी किया जाता है। अतः ₹ 2 लाख के चालान प्रत्येक माह 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर को या उससे पहले जारी किए जाने चाहिए, जब मासिक भुगतान ₹ 2 लाख प्राप्त होते हैं।

अतः, यह मानते हुए कि चालान 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर को जारी किए गए हैं, कर भुगतान के प्रयोजन के लिए आपूर्ति का समय क्रमशः 5 जुलाई, 5 अगस्त और 5 सितंबर होगा, जहाँ प्रत्येक सामान का मूल्य ₹ 2 लाख है।



प्रश्नोत्तरी  
समय

1

बजरंग प्रा. लि. ने 23 जून को भागीरथी प्रा. लि. को ₹ 1,50,000 में सामान की सप्लाई करने के लिए सहमति व्यक्त की। अगले दिन, उसने अपने कारखाने से सामान हटा दिया और 25 जून को चालान जारी किया। सामान के लिए भुगतान भागीरथी प्रा. लि. द्वारा 15 जुलाई को किया गया।

सामान की सप्लाई का समय है 25

(क) 23 जून

(ख) 24 जून

(ग) 25 जून

(घ) 15 जून



प्रश्नोत्तरी  
समय

2

हनुमान प्रा. लि. ने 23 जून को गंगा प्रा. लि. को ₹ 1,50,000 में खिलौनों की सप्लाई करने के लिए सहमति व्यक्त की और उसी दिन ₹ 1,00,000 की अग्रिम राशि प्राप्त की। अगले दिन, उसने अपने कारखाने से खिलौने हटा दिए और 25 जून को चालान जारी किया। शेष राशि ₹ 50,000 का भुगतान गंगा प्रा. लि. द्वारा 15 जुलाई को किया गया।

₹1,00,000 की अग्रिम राशि और ₹50,000 की शेष राशि का समय \_\_\_ और \_\_\_ होगा।

(क) 23 जून; 15  
जुलाई

(ख) 24 जून;  
24 जून

(ग) 25 जून; 25  
जून

(घ) 15 जुलाई; 15  
जुलाई

**1000 तक की अधिशेष राशि: आपूर्ति के समय के रूप में चालान की तिथि लेने का विकल्प**

खंड 12 की उप-भाग (2) की उप-खंड के प्रावधान के अनुसार, यदि चालान की गई सामान के मूल्य से अधिक ₹1,000 तक की राशि प्राप्त होती है, तो आपूर्तिकर्ता उस अधिशेष राशि के संबंध में जारी चालान की तिथि को उस अधिशेष मूल्य के लिए सामान की आपूर्ति के समय के रूप में चुन सकता है।

चूंकि, सामान की आपूर्ति पर जीएसटी केवल चालान जारी करने के आधार पर देय है, यह प्रावधान सामान की आपूर्ति के लिए व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक है।



यदि न तो चालान की तिथि और न ही भुगतान की तिथि उपलब्ध हो, तो सप्लाई का समय भाग 12 की उप-भाग (5) के शेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है [बिंदु (iv) के अंतर्गत चर्चा की गई]।

**(i) रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सामान की आपूर्ति का समय [खंड 12(3)]**


- सामान की आपूर्ति का समय, जिस पर Cजीएसटी अधिनियम की खंड 9 की उपभाग (3) और (4) के अंतर्गत रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी देय है, भाग 12(3)(क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित है:
- ऐसी सामान के लिए आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में से सबसे पूर्व तिथि होगा:
- जिस तिथि को वस्तियाँ प्राप्त होती हैं, अथवा
- जिस तिथि को भुगतान प्राप्तकर्ता की खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, अथवा जिस तिथि को यह उसके बैंक खाते से डेबिट किया जाता है, इनमें से जो पहले हो, अथवा
- आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान (या चालान के स्थान पर किसी अन्य नाम से जारी दस्तावेज़) जारी करने की तिथि के 30 दिनों के तुरंत बाद की तिथि।

यदि इन मानदंडों का उपयोग कर आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव न हो, तो आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की खातों की पुस्तकों में सामान की प्रविष्टि की तिथि होगा।



★ सामान की सप्लाई के मामले में अग्रिम प्राप्ति के समय जीएसटी न देने की छूट केवल तब उपलब्ध होती है जब कर फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत देय हो। रिवर्स चार्ज के मामले में, यदि भुगतान सामान की प्राप्ति से पहले रिकॉर्ड/किया गया हो (अग्रिम भुगतान), तो जीएसटी भुगतान के समय देय होगा।

रिवर्स चार्ज के मामले में सामान की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है।



यदि उपरोक्त मानदंडों के माध्यम से आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव न हो,

तो  
आपूर्ति का समय होगा



जिस तिथि को वस्तियाँ प्राप्तकर्ता की खातों की पुस्तकों में दर्ज की जाती हैं

**चित्रण 3**

दिए गए विवरण के आधार पर समय-सीमा निर्धारित कीजिए

मई 4	आपूर्तिकर्ता ब्रिज एंड कंपनी को रिवर्स चार्ज आधार पर कर योग्य वस्तियों का चालान करता है (चालान जारी करने की तिथि से 30 दिन 3 जून को पूर्ण हो जाते हैं)
मई 12	ब्रिज एंड कंपनी वस्तियाँ प्राप्त करता है
मई 30	ब्रिज एंड कंपनी भुगतान करता है

**उत्तर**

यहाँ, 12 मई आपूर्ति का समय होगा, क्योंकि यह तीन निर्धारित तिथियों में सबसे पहले आने वाली तिथि है, अर्थात् सामान की प्राप्ति, भुगतान की तिथि और चालान जारी करने की तिथि के तुरंत बाद 30 दिनों की समाप्ति की तिथि [भाग 12(3)]। (यहाँ, चालान की तिथि केवल उस तिथि से तीस दिन की गणना करने के लिए प्रासंगिक है।)

**चित्रण 4**

दी गई जानकारी के आधार पर सप्लाई का समय निर्धारित करें।

मई 4	आपूर्तिकर्ता पिलर एंड कंपनी को रिवर्स चार्ज आधार पर कर योग्य वस्तियों का चालान करता है (चालान जारी करने की तिथि से 30 दिन 3 जून को पूर्ण हो जाते हैं)
जून 12	पिलर एंड कंपनी उन वस्तियों को प्राप्त करता है, जो मार्ग में रोकी गई थीं
जुलाई 3	वस्तियों के लिए भुगतान किया गया

**उत्तर**

यहाँ, 4 जून, आपूर्तिकर्ता के चालान की तिथि से 31वाँ दिन, आपूर्ति का समय होगा, क्योंकि यह तीन निर्दिष्ट तिथियों में से सबसे पूर्व तिथि है, अर्थात् वस्तियों की प्राप्ति, भुगतान की तिथि और चालान जारी करने की तिथि के 30 दिनों के तुरंत बाद की तिथि [भाग 12(3)]।

**प्रश्नोत्तरी समय**

नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सामान की सप्लाई का समय निर्धारित करें:

मई 11 सप्लाईकर्ता - धृति एंटरप्राइजेज - पारमिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को रिवर्स चार्ज आधार पर कर योग्य वस्तियों का चालान जारी करता है।

मई 12 पारमिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड वस्तियाँ प्राप्त करता है

मई 30 पारमिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड एक चेक जारी करता है और अपने खातों की पुस्तकों में भुगतान दर्ज करता है

मई 31 भुगतान परमिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड के बैंक खाते से डेबिट किया गया।

जून 1 भुगतान धृति एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में जमा किया जाता है

जून 2 भुगतान धृति एंटरप्राइजेज की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है

(क) मई 12	(ख) मई 30	(ग) जून 11	(घ) जून 1
-----------	-----------	------------	-----------

**(ii) सामान के बदले में विनिमय वाउचर की आपूर्ति का समय [भाग 12(4)]<sup>8</sup>**

सामान्य समझ के अनुसार, वाउचर ऐसे साधन हैं जिन्हें निर्दिष्ट मूल्य की सामान या सेवाओं के भुगतान के रूप में विनिमय किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, वाउचर ऐसे साधन हैं जिन्हें कुछ व्यक्तियों (संभावित आपूर्तिकर्ताओं) द्वारा सामान और/या सेवाओं की आपूर्ति के बदले में पूरी या आंशिक रूप से मूल्यांकन के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है। यह साधन या इसका संबंधित दस्तावेज़ उपयोग की शर्तें, शामिल वस्तुएँ और/या सेवाएँ, तथा उन सामान और/या सेवाओं के संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान निर्दिष्ट करता है।

भाग 12(4) के अनुसार, सामान के बदले में विनिमय वाउचर का आपूर्ति का समय होगा

- वाउचर जारी करने की तिथि, यदि उस समय वह आपूर्ति पहचानी जा सकती हो, या
- अन्य मामलों में वाउचर भुनाने की तिथि।

<sup>8</sup> ध्यान देने योग्य है कि वित्त अधिनियम, 2025 में वाउचर के आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इस अध्ययन सामग्री के मुद्रण की तिथि तक वित्त अधिनियम, 2025 के प्रावधान प्रभावी नहीं हुए हैं। एक बार उक्त संशोधन प्रभावी होने पर, छात्रों को वाउचर के आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सामान के बदले में विनिमेय वाउचर के आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधान नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं।




(3) एसीमी सेल्स लिमिटेड एक कंपनी को फूड कूपन बेचती है। कंपनी इन कूपनों को अपने कर्मचारियों को निर्धारित भत्तों के हिस्से के रूप में देती है। ये कूपन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले आउटलेट्स में किसी भी खाद्य/सप्लाई की वस्तु की खरीद के लिए भुनाए जा सकते हैं। चूंकि उस सप्लाई का पता नहीं होता है जिसके बदले कूपन भुनाया जाएगा, कूपन की सप्लाई का समय वह तिथि होगा जिस दिन कर्मचारी इसे अपनी पसंद के खाद्य/सप्लाई की सामान के लिए भुनाता है।



(4) क्रिसमस सप्ताह के दौरान परफेक्ट पिज़्ज़ा से हर बड़े पिज़्ज़ा की खरीद के साथ, कोई भी 20 का वाउचर खरीद सकता है जो 5 जनवरी तक छोटे पिज़्ज़ा के लिए भुनाया जा सकता है। चूंकि उस आपूर्ति का पता है जिसके बदले वाउचर भुनाया जाएगा, वाउचर की सप्लाई का समय वाउचर जारी करने की तिथि होगी।

सामान के बदले में विनिमेय वाउचर का आपूर्ति का समय




### (iii) अवशिष्ट मामलों में सामान की आपूर्ति का समय [भाग 12(5)]

यदि उपर्युक्त किसी भी प्रावधान द्वारा स्थिति को आवृत नहीं किया गया है, तो भाग 12 की उपभाग (5) के अंतर्गत सामान की आपूर्ति का समय निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है:

- अवधिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि, अथवा
- किसी अन्य मामले में, वह तिथि जिस दिन जीएसटी का भुगतान किया गया हो।

अवशिष्ट मामलों में सामान की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दी गई चित्रात्मक रूपरेखा द्वारा दर्शाया गया है।

#### अवशिष्ट मामलों में सामान की आपूर्ति का समय



### (iv) विलंबित भुगतान के कारण ब्याज/देर शुल्क आदि के कारण मूल्य में वृद्धि के मामले में आपूर्ति का समय [भाग 12(6)]

व्यावसायिक रूप से, अधिकांश आपूर्ति अनुबंधों में यह प्रावधान होता है कि यदि भुगतान निर्धारित समय अवधि के बाद किया जाए तो ब्याज/देर शुल्क/दंड आदि का भुगतान करना होगा। ऐसे ब्याज/देर शुल्क/दंड आदि को कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है [इस अवधारणा पर इस अध्यायन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 7 – आपूर्ति का मूल्य में विस्तार से चर्चा की गई है]। अतः यहाँ विचार करने योग्य बिंदु यह है कि ऐसे मूल्य में वृद्धि के मामलों में जीएसटी का देयता कब उत्पन्न होगी।


भाग 12(6) यह निर्धारित करती है कि सामान के लिए विलंबित भुगतान के कारण ब्याज/देर शुल्क/दंड आदि के कारण मूल्य में वृद्धि के मामलों में आपूर्ति का समय वह तिथि होगी जिस दिन आपूर्तिकर्ता को




(5) राधा ट्रेडर्स ने 6 जून को श्याम सेल्स को सामान बेचा, इस शर्त के साथ कि यदि श्याम सेल्स सामान की डिलीवरी के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है तो प्रति माह 2% ब्याज लिया जाएगा। सामान चालान के साथ 6 जून को डिलीवर


किया गया। श्याम सेल्स ने सामान के मूल्य का भुगतान 6 जुलाई को ब्याज सहित किया। बेचे गए सामान के लिए सप्लाई का समय चालान जारी करने की तिथि यानी 6 जून है और ब्याज के माध्यम से मूल्य में वृद्धि के लिए सप्लाई का समय वह तिथि है जिस दिन राधा ट्रेडर्स को यह मूल्य वृद्धि प्राप्त हुई, यानी 6 जुलाई।

★ भाग 12 में निहित सामान की सप्लाई के समय से संबंधित प्रावधानों का सारांश नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:





### 3. सेवाओं की आपूर्ति का समय [भाग13]

 <b>वैधानिक प्रावधान</b>		
भाग13	सेवाओं की आपूर्ति का समय	
उपभाग	खंड	विवरण
(1)		सेवाओं पर कर भुगतान की देयता उस समय उत्पन्न होगी जब आपूर्ति का समय इस खंड के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
(2)		सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जो भी सबसे पहले हो, वह होगा, अर्थात्:-
	(क)	आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि, यदि चालान भाग31 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो, या भुगतान प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, अथवा
	(ख)	सेवा प्रदान करने की तिथि, यदि चालान भाग31 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया हो, या भुगतान प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, अथवा
	(ग)	जिस तिथि को प्राप्तकर्ता अपनी पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है,

	<p>उन मामलों में जहाँ खंड (क) या खंड (ख) लागू नहीं होते:</p> <p><i>उल्लेखनीय है कि जहाँ कर योग्य सेवा के आपूर्तिकर्ता को चालान में दर्शाए गए मूल्य से अधिक अधिकतम एक हजार रुपये की राशि प्राप्त होती है, उस अधिक राशि के लिए आपूर्ति का समय, उक्त आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर, उस अतिरिक्त राशि से संबंधित चालान जारी करने की तिथि होगा।</i></p> <p>व्याख्या – खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए –</p>
	<p>(i) आपूर्ति को उस सीमा तक किया गया माना जाएगा जितना कि वह चालान या, जहाँ उपयुक्त हो, भुगतान द्वारा आवृत है।</p>
	<p>(ii) "भुगतान प्राप्ति की तिथि" उस तिथि को कहा जाएगा जिस दिन भुगतान आपूर्तिकर्ता की पुस्तकों में दर्ज किया गया हो या जिस दिन भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया गया हो, जो भी पहले हो।</p>
(3)	<p>उन आपूरियों के मामलों में जिन पर कर रिवर्स चार्ज आधार पर देय है या देय होगा, आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जो भी पहले हो, वह होगा, अर्थात्:—</p>
	<p>(क) प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में दर्ज भुगतान की तिथि या जिस दिन भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया गया हो, जो भी पहले हो; अथवा</p>
	<p>(ख) जारी किए गए चालान या किसी अन्य दस्तावेज़, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, की तिथि से <b>60</b> दिनों के तुरंत बाद की तिथि, <b>उन मामलों में जहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करना आवश्यक हो, अथवा</b></p>
	<p>(ग) जारीकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि, उन मामलों में जहाँ चालान प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना हो।</p>
	<p>उल्लेखनीय है कि जहाँ खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव न हो, वहाँ आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में दर्ज करने की तिथि होगा।:</p>

	अतिरिक्त प्रावधान यह है कि संबंधित उद्यमों द्वारा आपूर्ति के मामलों में, जहाँ सेवा का आपूर्ति कर्ता भारत के बाहर स्थित हो, आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में दर्ज करने की तिथि या भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, होगी।
(4)	विक्रेता द्वारा वाउचर की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति का समय निम्नलिखित होगा- (क) वाउचर जारी करने की तिथि, यदि उस समय आपूर्ति की पहचान की जा सके, अथवा (ख) अन्य सभी मामलों में वाउचर भुनाने की तिथि,
(5)	जहाँ उप-खंड (2), उप-खंड (3) या उप-खंड (4) के प्रावधानों के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति का समय निर्धारित करना संभव न हो, वहाँ आपूर्ति का समय होगा- (क) ऐसे मामलों में जहाँ अवधिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो, वह तिथि जिस दिन यह रिटर्न दाखिल किया जाना है, अथवा (ख) किसी अन्य मामले में, वह तिथि जिस दिन कर का भुगतान किया गया हो।
(6)	आपूर्ति के मूल्य में विलंबित भुगतान के कारण ब्याज, देर शुल्क या दंड के माध्यम से हुई वृद्धि से संबंधित आपूर्ति का समय वह तिथि होगी जिस दिन आपूर्ति कर्ता को यह मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है।
अनुभाग 31	<b>कर चालान (सेवाओं की आपूर्ति के समय के सन्दर्भ में प्रासंगिक सीमा तक)</b>
(2)	कर योग्य सेवाएँ प्रदान करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, सेवा प्रदान करने से पहले या बाद में लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर, एक कर चालान जारी करेगा, जिसमें सेवा का विवरण, मूल्य, उस पर लगाया गया कर और अन्य ऐसा विवरण दर्शाया जाएगा जो निर्धारित किया गया हो। उल्लेखनीय है कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

<sup>9</sup> ध्यान देने योग्य है कि वित्त अधिनियम, 2025 ने वाउचर की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया है। इस अध्ययन सामग्री के मुद्रण की तिथि तक वित्त अधिनियम, 2025 के प्रावधान प्रभावी नहीं हुए हैं। एक बार उक्त संशोधन लागू होने के बाद, विद्यार्थियों को वाउचर की आपूर्ति के समय से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

	(क)	उन सेवाओं या आपूरियों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करना जिनके संबंध में कर चालान जारी किया जाना आवश्यक है, और वह चालान निर्धारित समय और निर्धारित तरीके से जारी किया जाएगा।
	(ख)	उसमें उल्लिखित शर्त के अधीन, उन सेवाओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट करना जिनके संबंध में—
	(i)	आपूर्ति के संबंध में जारी कोई अन्य दस्तावेज़ कर चालान माना जाएगा; अथवा
	(ii)	कर चालान जारी नहीं किया जा सकता।
(3)	(f)	<i>एक पंजीकृत व्यक्ति, जो भाग 9 की उप-भाग (3) या उप-भाग (4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे निर्धारित अवधि के भीतर उस आपूर्ति कर्ता से प्राप्त सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में चालान जारी करना होगा, जो सामान या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तिथि पर पंजीकृत नहीं है।</i>
(5)		उप-भाग (3) के खंड (घ) के प्रावधानों के अधीन, लगातार सेवाओं की आपूर्ति के मामलों में,—
	(क)	जहाँ भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित की जा सकती है, वहाँ चालान भुगतान की नियत तिथि को या उससे पहले जारी किया जाएगा;
	(ख)	जहाँ भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित नहीं की जा सकती, वहाँ चालान सेवा आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने से पहले या उसी समय जारी किया जाएगा;
	(ग)	जहाँ भुगतान किसी घटना की पूर्णता से जुड़ा हो, वहाँ चालान उस घटना की पूर्णता की तिथि को या उससे पहले जारी किया जाएगा।
(6)		ऐसे मामले में जहाँ अनुबंध के अंतर्गत सेवा की आपूर्ति पूरी होने से पहले ही बंद हो जाती है, चालान उस समय जारी किया जाएगा जब आपूर्ति बंद हो और यह चालान उस आपूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा जो बंद होने से पहले की गई हो।

## अध्याय VI: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स – सीजीएसटी नियम

## नियम 47

## कर चालान जारी करने की समय सीमा

नियम 46 में उल्लिखित चालान, कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामलों में, सेवा की आपूर्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जहाँ सेवा का आपूर्ति कर्ता बीमाकर्ता, बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी शामिल है, हो, वहाँ चालान या उसके स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज़ जारी करने की अवधि सेवा की आपूर्ति की तिथि से पैंतालीस दिन होगी।

अतिरिक्त प्रावधान यह है कि बीमाकर्ता, बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल हो, दूरसंचार ऑपरेटर, या कोई अन्य सेवा आपूर्ति कर्ता वर्ग जिसे सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित कर सकती है, जो भाग 25 में निर्दिष्ट अलग-अलग व्यक्तियों के बीच कर योग्य सेवाएँ प्रदान करता है, वह चालान अपनी पुस्तकों में दर्ज करने के समय या उससे पहले, अथवा उस तिमाही की समाप्ति से पहले जारी कर सकता है जिसमें आपूर्ति की गई हो।

## नियम 47A

*नियम 47 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, जहाँ नियम 46 में उल्लिखित चालान भाग 31 की उप-भाग (3) के उप-प्रावधान (घ) के अंतर्गत उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाना आवश्यक हो, जो भाग 9 की उप-भाग (3) या उप-भाग (4) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह उक्त चालान सामान या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर जारी करेगा, जहाँ प्रासंगिक हो।*



भाग 13 की भाग 31 तथा नियम 47 और 47A के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो विभिन्न परिस्थितियों में सेवा की सप्लाई के लिए कर चालान जारी करने की तिथि का विस्तृत प्रावधान निर्धारित करते हैं।



### विश्लेषण

भाग 13 निम्नलिखित परिस्थितियों में आपूर्ति का समय निर्धारित करने का प्रावधान करती है:

- फॉरवर्ड चार्ज के तहत कर योग्य सेवा की आपूर्ति ,
- रिवर्स चार्ज के तहत कर योग्य सेवा की आपूर्ति ,
- ऐसे वाउचर की आपूर्ति जिन्हें सेवाओं के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सके,
- अवशिष्ट मामले,
- सेवा की आपूर्ति के मूल्य में विलंबित भुगतान के कारण ब्याज, देर शुल्क या दंड के माध्यम से हुई वृद्धि।

अगले भाग में, हम इन्हें विस्तार से विचार करेंगे:

**(i) फॉरवर्ड चार्ज के तहत सेवा की आपूर्ति का समय [भाग 13(2) को भाग 31 और सीजीएसटी नियम 47 के साथ पढ़ें]**

ऐसी सेवा की आपूर्ति के लिए जिस पर आपूर्ति कर्ता कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्ति का समय निम्नलिखित विधियों (क) और (ख) द्वारा प्राप्त तारीखों में से जो भी पहले हो, वह होगा:

- (A) चालान जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि (जहाँ चालान या भुगतान सेवा की आपूर्ति को आवृत करता हो), जो भी पहले हो, यदि चालान भाग 31 के अंतर्गत निर्धारित समय में जारी किया गया हो;
- (B) सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि (जहाँ भुगतान सेवा की आपूर्ति को आवृत करता हो), जो भी पहले हो, यदि चालान भाग 31 के अंतर्गत निर्धारित समय में जारी नहीं किया गया हो,

यदि उपरोक्त दोनों विधियाँ [(क) और (ख)] लागू न हों, तो आपूर्ति का समय वह तिथि होगी जिस दिन सेवा प्राप्तकर्ता अपनी पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति दर्शाता है।

**“भुगतान प्राप्ति की तिथि” का अर्थ**

उपरोक्त स्थिति में “भुगतान प्राप्ति की तिथि” उस तिथि को कहा जाता है जिस दिन भुगतान प्राप्त करने वाले आपूर्ति कर्ता की पुस्तकों में भुगतान दर्ज किया गया हो, या जिस दिन भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया गया हो, जो भी पहले हो।

**“जहाँ तक चालान या भुगतान सेवा की आपूर्ति को आवृत करता है” का महत्व:**

मान लीजिए कि मूल्य का एक भाग अग्रिम में भुगतान किया गया है या आंशिक भुगतान के लिए चालान जारी किया गया है, तो आपूर्ति का समय पूरी आपूर्ति को नहीं आवृत करेगा। आपूर्ति को उस सीमा तक किया गया माना जाएगा जितना कि वह चालान या आंशिक भुगतान द्वारा आवृत है और आपूर्ति का समय उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

फॉरवर्ड चार्ज के मामले में सेवाओं की आपूर्ति का समय पिछले अध्याय में दिए गए चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है।

**भाग 31 के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान जारी करने की समय सीमा**

सेवाओं की आपूर्ति का समय निर्धारित करने के मानदंड इस बात पर निर्भर करते हैं कि चालान भाग 31 के तहत निर्धारित समय में जारी किया गया है या नहीं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान प्रासंगिक हैं:

- भाग 31(2) को सीजीएसटी नियम 47 के साथ पढ़ने पर, कर चालान सेवा प्रदान करने से पहले या सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर (बीमा कंपनियों/बैंकिंग कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं सहित एनबीएफसी के मामले में 45 दिनों के भीतर) जारी किया जाना आवश्यक है।
- बीमा कंपनियों/बैंकिंग कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं सहित एनबीएफसी/टेलीकॉम कंपनियों/अधिसूचित सेवा आपूर्ति कर्ताओं के लिए, जो भाग 25<sup>10</sup> में निर्दिष्ट अलग-अलग व्यक्तियों के बीच कर योग्य सेवाएँ प्रदान करते हैं, चालान उस आपूर्ति को पुस्तकों में दर्ज करने के समय या उससे पहले, अथवा उस तिमाही की समाप्ति से पहले जारी किया जा सकता है जिसमें आपूर्ति की गई हो [नियम 47 का दूसरा प्रावधान]।
- लगातार सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, चालान जारी किया जाना चाहिए:
  - (i) भुगतान की नियत तिथि को या उससे पहले – जहाँ भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित की जा सकती हो; या

<sup>10</sup> अलग-अलग व्यक्तियों की अवधारणा इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 2: जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति में चर्चा की गई है।

- (ii) उस समय या उससे पहले जब सेवा आपूर्ति कर्ता भुगतान प्राप्त करता है – जहाँ भुगतान की नियत तिथि ज्ञात न हो।
- (iii) मीलस्टोन घटना की पूर्णता की तिथि को या उससे पहले – जहाँ भुगतान किसी घटना की पूर्णता से जुड़ा हो [भाग 31(5)]।

लगातार सेवा की आपूर्ति वह होती है, जो अनुबंध के अंतर्गत लगातार या आवर्ती आधार पर प्रदान की जाती है या प्रदान करने के लिए सहमति दी जाती है, तीन महीने से अधिक अवधि के लिए, जिसमें आवधिक भुगतान की बाध्यताएँ शामिल होती हैं और ऐसी सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है जिसे सरकार अधिसूचित कर सकती है [भाग 2(33)]। *उक्त अवधारणा इस अध्ययन सामग्री के मॉड्यूल 2 के अध्याय 10: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट्स में चर्चा की गई है।*

- यदि सेवा की आपूर्ति पूरी होने से पहले बंद हो जाती है, तो चालान उस समय जारी किया जाना चाहिए जब आपूर्ति बंद हो और यह चालान उस आपूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा जो बंद होने से पहले की गई हो [भाग 31(6)]।



**(6)** मोहित खन्ना एंड संस एक प्रबंधन परामर्शदाता फर्म है। यह फर्म 1 सितंबर को स्पार्क प्रा. लि. के साथ परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध में प्रवेश करती है। सेवा का प्रावधान 15 सितंबर को पूर्ण हो जाता है। सेवा के लिए चालान 20 सितंबर को जारी किया जाता है और भुगतान 10 अक्टूबर को प्राप्त होता है। चूंकि चालान सेवा की सप्लाई की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया गया है, इसलिए सप्लाई की समयावधि चालान जारी करने की तिथि मानी जाएगी, अर्थात् 20 सितंबर, जो भुगतान की प्राप्ति की तिथि से पूर्व है।



**(7)** यदि उपरोक्त उदाहरण में चालान 25 अक्टूबर को जारी किया जाता है, तो आपूर्ति की समयावधि सेवा के प्रावधान की तिथि मानी जाएगी, अर्थात् 15 सितंबर, जो भुगतान की प्राप्ति की तिथि से पूर्व है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चालान सेवा की सप्लाई की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी नहीं किया गया है।

### चित्रण 5

निम्नलिखित विवरणों से सप्लाई की समयावधि निर्धारित करें:

6 <sup>th</sup> मई	सम्मेलन हॉल की बुकिंग, निर्धारित राशि ₹15,000, अग्रिम ₹3,000 प्राप्त
15 <sup>th</sup> September	सम्मेलन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया
27 <sup>th</sup> October	कर चालान 15,000 के लिए जारी किया गया, जिसमें शेष ₹12,000 देय दर्शाया गया
3 <sup>rd</sup> November	शेष भुगतान ₹12,000 प्राप्त किया गया

**उत्तर**

भाग 31(2) के साथ सीजीएसटी नियम 47 के अनुसार, कर चालान सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना आवश्यक है। दिए गए मामले में, चालान निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी नहीं किया गया है। भाग 13(2)(ख) के अनुसार, ऐसी स्थिति में जहाँ चालान निर्धारित समय में जारी नहीं किया गया हो, सेवा की आपूर्ति की समयावधि सेवा के प्रावधान की तिथि या भुगतान की प्राप्ति की तिथि में से जो पूर्व हो, उसे माना जाएगा।

अतः, 3,000 की राशि तक सेवा की आपूर्ति की समयावधि 6 मई है, क्योंकि 3,000 का भुगतान सेवा के प्रावधान की तिथि से पूर्व प्राप्त हुआ। शेष 12,000 की राशि तक सेवा की आपूर्ति की समयावधि 15 सितंबर है, जो सेवा के प्रावधान की तिथि है।

**उदाहरण 6**

*जांच से यह पता चलता है कि ए.बी.सी. एंड कंपनी ने एक अपार्टमेंट परिसर में टैकों की सफाई और मरम्मत की सेवा प्रदान की, जिसके लिए अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने 4 अप्रैल को इस प्रकार के कार्य के एवज में नकद भुगतान दिखाया। ए.बी.सी. एंड कंपनी के रिकॉर्ड में कार्य की तिथियाँ स्पष्ट नहीं हैं। ए.बी.सी. एंड कंपनी ने न तो चालान जारी किया है और न ही इस भुगतान को अपनी खाता पुस्तकों में दर्ज किया है।*

**उत्तर**

खंड (ए.) और (बी) के प्रावधानों के अनुसार, आपूर्ति की समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि न तो चालान जारी किया गया है, न ही सेवा के प्रावधान की तिथि उपलब्ध है और न ही आपूर्ति कर्ता की खाता पुस्तकों में भुगतान की प्राप्ति की तिथि उपलब्ध है।

अतः, आपूर्ति की समयावधि भाग 13(2) के खंड (सी) के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात् उस तिथि को जब सेवा के प्राप्तकर्ता ने अपनी खाता पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति को दर्शाया हो।

इस प्रकार, आपूर्ति की समयावधि 4 अप्रैल होगी, अर्थात् वह तिथि जब अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने अपनी खाता पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति दर्ज की।

प्रश्नोत्तरी  
समय



4

नीचे दी गई जानकारी की सहायता से सेवाओं की आपूर्ति का समय और भुगतान की प्राप्ति की तिथि निर्धारित करें:

मई 4 आपूर्ति कर्ता - धृति एंटरप्राइजेज - पार्सिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को अग्रिम कराधान के अंतर्गत कर योग्य सेवाएँ प्रदान करता है।

मई 12 धृति एंटरप्राइजेज सेवा के लिए चालान जारी करता है।

मई 30 पार्सिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड एक चेक जारी करता है और अपने खाता पुस्तकों में भुगतान को दर्ज करता है।

मई 31 पार्सिंदर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड के बैंक खाते से भुगतान डेबिट किया जाता है।

जून 1 धृति एंटरप्राइजेज के बैंक खाते में भुगतान क्रेडिट किया जाता है।

जून 2 भुगतान को धृति एंटरप्राइजेज की खाता पुस्तकों में दर्ज किया जाता है।


(a) मई 12;  
जून 1

(b) मई 30;  
मई 30

(c) मई 4; जून 2

(घ) मई 31;  
जून 2

## अग्रिम कराधान के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति का समय

**अधिक भुगतान `1,000 तक: आपूर्ति की समयावधि के रूप में चालान तिथि का विकल्प**

भाग 13 की उप-भाग (2) के उप-प्रावधान के अनुसार, यदि चालान मूल्य से अधिक `1,000 तक का भुगतान प्राप्त होता है, तो आपूर्ति कर्ता इस अतिरिक्त राशि के संबंध में जारी चालान की तिथि को इस अतिरिक्त मूल्य के लिए सेवाओं की आपूर्ति की समयावधि के रूप में चुन सकता है।

यह प्रावधान आपूर्ति कर्ता को ऐसे छोटे राशियों पर कर भुगतान को स्थगित करने की सुविधा प्रदान करता है, जो सामान्यतः उसे चालान राशि से अधिक प्राप्त होती हैं।



- (8) एक टेलीफोन कंपनी को 4,800 के चालान के विरुद्ध 5,000 प्राप्त होते हैं। अतिरिक्त राशि 200 को अगले चालान के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। कंपनी के पास यह ` 4800. विकल्प होता है कि वह पहले चालान 4,800 के विरुद्ध प्राप्त अतिरिक्त राशि `200 के संबंध में सेवा की सप्लाई की समयावधि के रूप में अगले चालान की तिथि को ले।

**(ii) रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति का समय [भाग 13(3)]**

उपभाग (3) और (4) के तहत (भारत के बाहर स्थित संबद्ध उद्यमों से प्राप्त सेवाओं को छोड़कर) रिवर्स चार्ज आधार पर जीएसटी योग्य सेवा की आपूर्ति का समय भाग 13(3)(क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

इस प्रकार की सेवा की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में से जो पूर्व हो, वह माना जाएगा:

- भुगतान की तिथि, या
- **ऐसी स्थिति में, जहाँ आपूर्ति कर्ता द्वारा चालान** (या चालान के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज) जारी करना आवश्यक है, चालान जारी करने की तिथि के **60** दिन पूर्ण होने के अगले दिन, या
- **ऐसी स्थिति में, जहाँ चालान प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, चालान जारी करने की तिथि।**

यदि इन मानदंडों के आधार पर आपूर्ति की समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है, तो आपूर्ति की समयावधि उस तिथि को माना जाएगा, जिस दिन सेवा को प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज किया गया हो।

**“भुगतान की तिथि” का अर्थ**

उपरोक्त स्थिति में “भुगतान की तिथि” से तात्पर्य उस तिथि से है, जिस दिन भुगतान सेवा के प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज किया गया हो, या जिस दिन भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते से डेबिट किया गया हो, जो भी पूर्व हो।

**रिवर्स चार्ज प्रणाली में सेवा की आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा चालान जारी करने की समय सीमा [भाग 31(3)( एफ) पढ़ें नियम 47ए के साथ]**


**जहाँ नियम 46 में संदर्भित चालान को भाग 31(3)(एफ) के तहत उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी करना आवश्यक हो, जो भाग 9(3)/(4) के तहत कर भुगतान के लिए जिम्मेदार हो, वह उक्त सामान और/या सेवाओं की आपूर्ति की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर उक्त चालान जारी करेगा।**

**अतः, चालान उक्त सामान और/या सेवाओं की आपूर्ति की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।**

**संबद्ध उद्यमों के बीच सेवाओं का आयात**

यदि सेवा भारत के बाहर स्थित संबद्ध उद्यम से प्राप्त होती है, तो आपूर्ति की समयावधि उस सेवा के भुगतान की तिथि होगी, या प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में सेवा के दर्ज होने की तिथि, जो भी पूर्व हो।

रिवर्स चार्ज के मामले में सेवाओं की आपूर्ति की समयावधि से संबंधित प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दिए गए आरेख के माध्यम से चित्रित किया जा सकता है।

रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति का समय

यदि उपर्युक्त मापदंडों के माध्यम से समय-सीमा निर्धारित करना

संभव न हो, तो समय-सीमा होगी



सेवा प्राप्तकर्ता के लेखा पुस्तकों में सेवा के दर्ज होने की तिथि

संबद्ध उद्यमों से सेवाओं के आयात के मामले में समय-सीमा

भारत के बाहर स्थित संबद्ध उद्यम से सेवाओं की सप्लाई



सेवा के लिए भुगतान की तिथि



सेवा प्राप्तकर्ता के लेखा पुस्तकों में सेवा के दर्ज होने की तिथि



संबद्ध उद्यम (ईई)

जो भी पहले हो

**चित्रण 7**

दी गई जानकारी के आधार पर सप्लाई की समयावधि निर्धारित करें। (मान लें कि प्रदान की जा रही सेवा रिवर्स चार्ज के तहत कर योग्य है)

मई 4	सेवा के आपूर्ति कर्ता द्वारा प्रदत्त सेवा के लिए चालान जारी किया जाता है। देय राशि को लेकर विवाद होने के कारण भुगतान में देरी होती है।
अगस्त 21	सेवा के आपूर्ति कर्ता को भुगतान किया गया।

**उत्तर**

यहाँ, **4 जुलाई** आपूर्ति की समयावधि होगी, क्योंकि यह दो निर्दिष्ट तिथियों में से पूर्व तिथि है, अर्थात् भुगतान की तिथि और चालान जारी करने की तिथि से 60 दिन पूर्ण होने के अगले दिन।

**उदाहरण 8**

दी गई जानकारी के आधार पर आपूर्ति की समयावधि निर्धारित करें।

मई 4	एक जर्मन कंपनी ने अपने संबद्ध उद्यम, ए.बी.सी. लिमिटेड को प्रदत्त तकनीकी सेवाओं की लागत के बारे में ईमेल जारी की, जिसे ए.बी.सी. लिमिटेड की पुस्तकों में <b>1 मई</b> को दर्ज किया गया।
जुलाई 2	ए.बी.सी. लिमिटेड उस राशि को जर्मन कंपनी के खाते में स्थानांतरित करता है।

**उत्तर**

यहाँ, **1 मई** आपूर्ति की समयावधि होगी, क्योंकि यह दो निर्दिष्ट तिथियों में से पूर्व तिथि है, अर्थात् आपूर्ति के प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज तिथि या भुगतान की तिथि, जो भी पूर्व हो, जैसा कि भाग 13(3) के द्वितीय उप-प्रावधान के अनुसार है।

**(iii) सेवाओं के लिए विनिमय योग्य वाउचर की आपूर्ति का समय [भाग 13(4)]<sup>11</sup>**

**वाउचर** शब्द की व्याख्या पहले "सामान की आपूर्ति की समयावधि" शीर्षक के तहत की जा चुकी है। सेवाओं के लिए विनिमय योग्य वाउचर की आपूर्ति की समयावधि इस प्रकार निर्धारित है:-

- वाउचर जारी करने की तिथि – यदि उस समय आपूर्ति पहचान योग्य हो, या
- वाउचर भुनाने की तिथि – अन्य मामलों में।

<sup>11</sup> यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फाइनेंस एक्ट, 2025 ने वाउचर की आपूर्ति की समयावधि से संबंधित प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस अध्ययन सामग्री के मुद्रण की तिथि तक फाइनेंस एक्ट, 2025 के प्रावधान प्रभावी नहीं हुए हैं। एक बार उक्त संशोधन लागू हो जाने पर, छात्रों को वाउचर की आपूर्ति की समयावधि से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी।



(9) बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ने ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत ड्राइव मार्केटिंग लिमिटेड, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के होटल के कमरे मार्केट करता है और ऐसे कूपन/वाउचर बेचता है जिन्हें होटल में ठहरने पर छूट के रूप में भुनाया जा सकता है।

चूंकि उस सप्लाई के खिलाफ वाउचर भुनाया जाएगा वह पहचान योग्य है, इसलिए वाउचर की सप्लाई की समयावधि उसकी जारी करने की तिथि होगी।



प्रश्नोत्तरी  
समय

5

स्टाइल सैलून लिमिटेड उन ग्राहकों को 1,000 रुपये के वाउचर प्रदान करता है, जिन्होंने किसी महीने में 10,000 रुपये से अधिक की सेवाएँ ली हैं। ग्राहक ऐसे वाउचर का उपयोग स्टाइल सैलून लिमिटेड से हेयर स्टाइलिंग सेवाओं के लिए कर सकते हैं। श्री द्वारका ने 3 जून को सैलून से 12,000 रुपये की सेवाएँ लीं और उन्हें 5 जून को 1,000 रुपये का वाउचर जारी किया गया। उन्होंने उक्त वाउचर का उपयोग 4 सितंबर को स्टाइल सैलून लिमिटेड से हेयर स्टाइलिंग सेवाओं के लिए किया।

(क) 3 जून

(ख) 5 जून

(ग) 4 सितम्बर

(घ) 5 दिसंबर

#### (iv) शेष मामले [भाग 13(5)]

यदि स्थिति उपरोक्त किसी भी प्रावधान द्वारा आच्छादित नहीं है, तो आपूर्ति की समयावधि भाग 13 की उप-भाग (5) के तहत निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:

- उस अवधि के लिए आवधिक रिटर्न दायर करने की तिथि, या
- किसी अन्य मामले में, जिस तिथि जीएसटी का भुगतान किया जाता है।


#### (v) मूल्य में वृद्धि ब्याज/विलंब शुल्क आदि के कारण [भाग 13(6)]

विलंबित भुगतान के कारण ब्याज, विलंब शुल्क/जुर्माने के रूप में मूल्य में वृद्धि के मामले में आपूर्ति की समयावधि के प्रावधान सामान और सेवाओं दोनों के लिए समान हैं।


भाग 13(6) यह निर्दिष्ट करती है कि यदि किसी सेवा के लिए मूल्य में वृद्धि ब्याज, विलंब शुल्क/जुर्माने के रूप में होती है, तो आपूर्ति की समयावधि उस तिथि होगी जिस दिन आपूर्ति कर्ता को उक्त मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है।



भाग 13 में निहित सेवाओं की सप्लाई की समयावधि से संबंधित प्रावधानों का सारांश अगले पृष्ठ पर दिए गए आरेख में दर्शाया गया है।



यहाँ अवधि वार रिटर्न दाखिल किया जाना हो, उस रिटर्न की नियत तिथि या किसी अन्य मामले में, जिस तिथि को कर का भुगतान किया गया हो





## आइए हम पुनः दोहराएँ

सामान और सेवाओं की आपूर्ति की समयावधि से संबंधित प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि इन्हें एक साथ अध्ययन किया जाए और दोनों के बीच समानताओं और अंतरों को समझा जाए। अतः, इन प्रावधानों को छात्रों को बेहतर और प्रभावी तरीके से याद रखने और समझने में सहायता हेतु तुलना तालिका के रूप में संक्षेपित किया गया है:

### अग्रिम कराधान के तहत कर देय होने पर आपूर्ति की समयावधि

सामान की आपूर्ति की समयावधि [भाग12(2)]	सेवाओं की आपूर्ति का समय [भाग13(2)]
<p><u>निम्नलिखित में से जो पूर्व हो:</u></p> <p>(क) आपूर्ति कर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि या आपूर्ति के संबंध में उसे भाग31 के तहत चालान जारी करने की अंतिम तिथि</p> <p>(ख) आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि (भुगतान को खाता पुस्तकों में दर्ज करने की तिथि या बैंक खाते में क्रेडिट करने की तिथि, जो भी पूर्व हो)</p> <p><u>सामान की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राप्त के समय जीएसटी नहीं:</u></p> <p>अग्रिम कराधान के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा सामान की आपूर्ति के मामले में (रचना प्रणाली आपूर्ति कर्ता और निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को छोड़कर), जीएसटी का भुगतान सामान की आउटवर्ड आपूर्ति पर चालान जारी करने की तिथि या भाग31 के तहत चालान जारी करने की अंतिम तिथि में से जिस तिथि</p>	<p>(क) चालान भाग 31 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किया गया</p> <p><u>निम्नलिखित में से जो पूर्व हो:</u></p> <p>→ आपूर्ति कर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि</p> <p>→ भु ग तान प्राप्त करने की तिथि ( भु ग तान को खा ता पु स्त कों में दर्ज करने की ति थि या बैं क खा ते में क्रे डि ट कर ने की ति थि , जो भी पूर्व हो</p> <p>(ख) चालान भाग 31 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी नहीं किया गया</p> <p><u>निम्नलिखित में से जो पूर्व हो:</u></p> <p>→ से वा के प्रा व धा न की ति थि</p> <p>→ भु ग तान प्राप्त करने की ति थि भु ग तान को खा ता पु स्त कों में दर्ज करने की</p>

<p>पहले हो, उस दिन किया जाएगा [सूचना संख्या 66/2017 CT दिनांक 15.11.2017]।</p>	<p>तिथि या बैंक खाते में क्रेडिट करने की तिथि, जो भी पूर्व हो)</p> <p>(ग) जब उपरोक्त घटनाएँ निर्धारित नहीं की जा सकें</p> <p>→ उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन प्राप्तकर्ता अपनी खाता पुस्तकों में सेवा की प्राप्ति को दर्शाता है।</p>
--	--

चालान जारी करने की समय सीमा

सामान की सप्लाई [भाग31(1)]	सेवाओं की सप्लाई [भाग31(2)]
<p>पूर्व या निम्नलिखित समय पर:</p> <p>(क) यदि सप्लाई में सामान का परिवहन शामिल है, तो प्राप्तकर्ता को सामान भेजे जाने के समय, या</p> <p>(ख) किसी अन्य मामले में, प्राप्तकर्ता को सामान की डिलीवरी या उपलब्ध कराने के</p>	<p>सेवा के प्रावधान से पूर्व या बाद में, लेकिन सेवा की सप्लाई की तिथि से 30 दिनों के भीतर [बीमा कंपनियों/बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों सहित एनबीएफसी के मामले में 45 दिनों के भीतर]।</p>

रिवर्स चार्ज के तहत कर देय होने पर आपूर्ति की समयावधि

सामान की सप्लाई की समयावधि [भाग 12(3)]	सेवाओं की सप्लाई की समयावधि [भाग13(3)]
<p><u>निम्नलिखित में से जो पूर्व हो:</u></p> <p>(क) सामान की प्राप्ति की तिथि, या</p> <p>(ख) भुगतान की तिथि, जैसा कि प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज है, या जिस दिन भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया गया, जो भी पहले हो, या</p>	<p><u>निम्नलिखित में से जो पूर्व हो:</u></p> <p>(क) भुगतान की तिथि, जैसा कि प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज है, या जिस दिन भुगतान उसके बैंक खाते से डेबिट किया गया, जो भी पहले हो, या</p>

<p>(ग) आपूर्ति कर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि से 31वाँ दिन</p>	<p>(ख) ऐसी स्थिति में जहाँ चालान आपूर्ति कर्ता द्वारा जारी किया जाना आवश्यक हो, आपूर्ति कर्ता द्वारा <i>चालान जारी करने की तिथि से 61वाँ दिन</i></p> <p>(ग) ऐसी स्थिति में जहाँ चालान प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना आवश्यक हो, प्राप्तकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि। [चालान सेवा की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए।]</p>
<p>यदि उपरोक्त घटनाएँ निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, तो आपूर्ति की समयावधि उस तिथि को मानी जाएगी जिस दिन इसे प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज किया गया हो।</p>	
-	<p><u>संबद्ध उद्यम से सेवा का आयात:</u> प्राप्तकर्ता की खाता पुस्तकों में दर्ज तिथि या भुगतान की तिथि, जो भी पूर्व हो।</p>

### सामान और सेवाओं के लिए विनिमय योग्य वाउचर की आपूर्ति की समयावधि<sup>12</sup>

<p><b>सामान और सेवाओं के लिए विनिमय योग्य वाउचर की सप्लाई [भाग 12(4) और 13(4)]</b></p>
<p>(क) वाउचर जारी करने के समय सामान या सेवाओं की सप्लाई पहचान योग्य हो → वाउचर जारी करने की तिथि</p> <p>(ख) अन्य मामलों में → वाउचर भुनाने की तिथि</p>

<sup>12</sup> यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **फाइनेंस एक्ट, 2025** ने वाउचर की आपूर्ति की समयावधि से संबंधित प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव किया है। इस अध्ययन सामग्री के मुद्रण की तिथि तक फाइनेंस एक्ट, 2025 के प्रावधान प्रभावी नहीं हुए हैं। एक बार उक्त संशोधन लागू हो जाने पर, छात्रों को वाउचर की आपूर्ति की समयावधि से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

शेष मामलों में सामान और सेवाओं की आपूर्ति की समयावधि

शेष मामलों में सामान और सेवाओं की आपूर्ति [भाग 12(5) और 13(5)] अर्थात ऐसी स्थिति में जहाँ अन्य प्रावधानों के तहत आपूर्ति की समयावधि निर्धारित करना संभव न हो।

- (क) यदि आवधिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो  
→ उस रिटर्न को दाखिल करने की नियत तिथि
- (ख) अन्य मामलों में  
→ कर का भुगतान करने की तिथि

विलंबित भुगतान के कारण ब्याज/विलंब शुल्क/जुर्माने के रूप में मूल्य में वृद्धि के लिए आपूर्ति की समयावधि

विलंबित भुगतान के कारण ब्याज, विलंब शुल्क/जुर्माने के रूप में मूल्य में वृद्धि सेवाओं की सप्लाई की समयावधि → उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन सप्लाई कर्ता को उक्त मूल्य वृद्धि प्राप्त होती है।



शेष श्रेणी में आने वाले सामान की सप्लाई की समयावधि से संबंधित प्रावधान, शेष श्रेणी में आने वाली सेवाओं की सप्लाई की समयावधि के समान हैं। इसके अलावा, विलंबित भुगतान के कारण ब्याज, विलंब शुल्क/जुर्माने के रूप में मूल्य में वृद्धि के लिए सप्लाई की समयावधि से संबंधित प्रावधान सामान और सेवाओं दोनों के लिए समान हैं।

साथ ही, 1,000 तक अधिक भुगतान प्राप्त होने पर सप्लाई की समयावधि के रूप में चालान की तिथि चुनने का विकल्प, "भुगतान की प्राप्ति की तिथि" का अर्थ, और "जहाँ तक चालान या भुगतान सप्लाई को कवर करता है" शब्दों का महत्व जैसी अवधारणाएँ भी सामान और सेवाओं दोनों के लिए समान हैं।

छात्र ऊपर बताए गए बिंदुओं का नोट बना सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में सहायक होगा।



## अपने ज्ञान का परीक्षण करें

1. जीएसटी कानून के तहत समय-सीमा का महत्व स्पष्ट कीजिए।
2. आगे शुल्क के तहत कर योग्य सामान एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम पर जीएसटी देय होता है।  
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन विधिक प्रावधानों के साथ कीजिए।
3. नीचे दिए गए मामलों में **समय-सीमा** निर्धारित कीजिए, यह मानकर कि जीएसटी रिवर्स चार्ज के तहत देय है।

क्र. सं.	सामान की प्राप्ति की तिथि	सामान के प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	वस्तु सप्लाय कर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि
(i)	जुलाई 1	अगस्त 10	जून 29
(ii)	जुलाई 1	जून 25	जून 29
(iii)	जुलाई 1	30 जून को आंशिक भुगतान किया गया और शेष राशि 20 जुलाई को भुगतान की गई	जून 29
(iv)	जुलाई 5	भुगतान को 28 जून को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और 30 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया	जून 1
(v)	जुलाई 1	भुगतान को 30 जून को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और 26 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया	जून 29
(vi)	अगस्त 1	अगस्त 10	जून 29

4. निम्नलिखित मामलों में समय-सीमा निर्धारित कीजिए, यह मानकर कि जीएसटी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत देय है:

क्र. सं.	सेवाओं की सप्लाई के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	सेवा प्रदाता द्वारा चालान जारी करने की तिथि
(i)	अगस्त 10	जून 29
(ii)	अगस्त 10	जून 1
(iii)	30 जून को आंशिक भुगतान किया गया और शेष राशि 1 सितंबर को भुगतान की गई	जून 29
(iv)	भुगतान को 28 जून को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और 30 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया	जून 1
(v)	भुगतान को 30 जून को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और 26 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया	जून 29

5. कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 17 जून को एक कंसाइनमेंट के सड़क मार्ग परिवहन के लिए एक ट्रांसपोर्टर की सेवाएँ प्राप्त की और उसी दिन, अर्थात् 17 जून को परिवहन के लिए अग्रिम भुगतान किया। हालांकि, फैक्ट्री में हड़ताल के कारण कंसाइनमेंट तुरंत नहीं भेजा जा सका और इसे 20 जुलाई को भेजा गया। ट्रांसपोर्टर से चालान 22 जुलाई को प्राप्त हुआ। ट्रांसपोर्टर की सेवा की समय-सीमा क्या होगी?
6. राजू प्रा. लि. को 5 जनवरी को एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कार्य के लिए ऑर्डर और अग्रिम भुगतान प्राप्त होता है। यह डिज़ाइन 23 अप्रैल को प्रदान करता है। त्रुटिवश, उस समय चालान जारी नहीं किया गया और इसे काफी बाद में, चालान जारी करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया गया। सेवा की समय-सीमा कब होगी?
7. जांच में पता चला कि 2 अगस्त को 150 कार्टन सिरेमिक कैपेसिटर भेजे गए, लेकिन कोई चालान जारी नहीं किया गया और लेन-देन (कार्टन के प्रेषण) को खातों में दर्ज नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त होने का कोई प्रमाण नहीं था। 150 कार्टन की सामान के लिए कर भुगतान हेतु समय-सीमा क्या होगी?

8. राम एंड कंपनी को 18 अगस्त को कस्टमाइज्ड जूतों की कंसाइनमेंट की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया गया। राम एंड कंपनी ने कंसाइनमेंट तैयार किया, ग्राहक को सूचित किया और 2 दिसंबर को चालान जारी किया। ग्राहक 7 दिसंबर को राम एंड कंपनी के परिसर से कंसाइनमेंट प्राप्त करता है और उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करता है, जिसे अगले दिन, 8 दिसंबर को खातों में दर्ज किया जाता है।

कर भुगतान हेतु जूतों की समय-सीमा क्या होगी?

9. एक अधिवक्ता फर्म ने 17 फरवरी को एबीसी लिमिटेड को सेवाओं के लिए चालान जारी किया। एबीसी लिमिटेड ने इस भुगतान पर आपत्ति जताई कि फर्म की लापरवाही के कारण कंपनी का मामला अदालत में गैर-हाज़िरी के कारण खारिज कर दिया गया, जिसके लिए आगे फिर से उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए फर्म कंपनी को बिल कर रही है। विवाद लंबित रहा और अंततः भुगतान 3 नवंबर को किया गया।

कानूनी सेवाओं की समय-सीमा की पहचान कीजिए।

10. मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के परीक्षण की सेवा प्रदान करती है। एक मामले में, उसने 4 और 5 सितंबर को उपकरणों का एक बैच टेस्ट किया, लेकिन उपकरणों की वापसी की स्थिति पर कुछ विवाद के कारण 19 नवंबर तक चालान जारी नहीं कर सका। भुगतान दिसंबर में किया गया।

सेवा की समय-सीमा निर्धारित करने की विधि क्या है?

11. एक्स.वाई.जेड. एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म, ने श्री ए को प्रदान की गई सेवाओं के लिए 7 सितंबर को चालान जारी किया। निम्नलिखित स्वतंत्र मामलों में समय-सीमा निर्धारित कीजिए:

- (1) सेवा का प्रावधान 1 अगस्त को पूरा हुआ और भुगतान 28 सितंबर को प्राप्त हुआ।
- (2) सेवा का प्रावधान 14 अगस्त को पूरा हुआ और भुगतान 28 सितंबर को प्राप्त हुआ।
- (3) श्री ए ने 3 अगस्त को भुगतान किया, पर उस समय सेवा का प्रावधान पूरा होना शेष था।
- (4) श्री ए ने 15 सितंबर को भुगतान किया, पर उस समय सेवा का प्रावधान पूरा होना शेष था।

12. म/एस प्रणव एसोसिएट्स, एक पार्टनरशिप फर्म ने 15 जनवरी को न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और पंजीकृत आपूर्ति कर्ता, को रिकवरी एजेंट सेवाएँ प्रदान कीं। इसके लिए चालान आपूर्ति कर्ता द्वारा 7

फरवरी को जारी किया गया और भुगतान न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड द्वारा 18 अप्रैल को किया गया। कंपनी के बैंक खाते से 20 अप्रैल को डेबिट किया गया।

निम्नलिखित निर्धारित कीजिए:

- (i) जीएसटी भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
  - (ii) सेवा की समय-सीमा
13. श्री X ने 1 जनवरी को अपनी ग्राहक मिस डायना को ₹50,000 मूल्य की वस्तुएँ आपूर्ति की, इस शर्त पर कि इसके लिए भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। हालांकि, मिस डायना ने उक्त सामान का भुगतान 2 फरवरी को किया और इस प्रकार, विलंबित भुगतान के बदले ₹2,000 ब्याज का भुगतान किया। विलंबित भुगतान के बदले ब्याज के रूप में मूल्य में वृद्धि के संबंध में समय-सीमा क्या होगी?
14. मंश एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी, एक पंजीकृत आपूर्ति कर्ता, आगे शुल्क के तहत जीएसटी देय है। उसने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:
- (i) सामान की आपूर्ति 3 अक्टूबर को की गई
  - (ii) चालान 5 अक्टूबर को जारी किया गया
  - (iii) भुगतान 9 अक्टूबर को प्राप्त हुआ
- कर भुगतान हेतु सामान की समय-सीमा निर्धारित कीजिए।



## उत्तर

1. जीएसटी सामान या सेवाओं की आपूर्ति पर देय होता है। समय-सीमा उस समय बिंदु को दर्शाती है जब कर भुगतान की देयता उत्पन्न होती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यद्यपि कर भुगतान की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होती है, इसे सरकार को उक्त 'समय-सीमा' के सन्दर्भ में निर्धारित नियत तिथि तक भुगतान करना आवश्यक है। सीजीएसटी अधिनियम में सामान और सेवाओं के लिए समय-सीमा के संबंध में अलग प्रावधान भाग 12 और 13 में दिए गए हैं।
2. यह कथन सही नहीं है। यद्यपि जीएसटी अग्रिम प्राप्ति पर देय है जब वह सेवाओं की आपूर्ति के लिए आगे शुल्क के तहत कर योग्य हो, वही सामान की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राप्ति पर, जो आगे शुल्क के तहत कर योग्य है, जीएसटी देय नहीं होता।

भाग 13 के अनुसार, फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति का समय इस प्रकार है

- यदि चालान आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया गया है, तो चालान जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त की तिथि, जो भी पहले हो;

या

- यदि चालान आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी नहीं किया गया है, तो सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्त की तिथि, जो भी पहले हो।

इस प्रकार, सेवाओं के मामले में, यदि आपूर्ति कर्ता को किसी सेवा के प्रावधान से पहले या उस सेवा के लिए चालान जारी होने से पहले कोई भुगतान प्राप्त होता है, तो समय-सीमा उसी समय तय हो जाती है और उस भुगतान पर कर भुगतान की देयता उत्पन्न होती है। हालांकि, कर का भुगतान उक्त समय-सीमा के सन्दर्भ में निर्धारित नियत तिथि तक किया जा सकता है।

जहाँ तक फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर योग्य सामान की आपूर्ति का समय है, सूचना क्रमांक 66/2017 सी.टी. दिनांक 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (रचना आपूर्ति कर्ता और निर्दिष्ट क्रियाशील दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को छोड़कर) को सामान की बाह्य आपूर्ति पर जीएसटी उस समय-सीमा पर देय होती है जैसा कि भाग 12(2)(ए) में निर्दिष्ट है, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन चालान खंड 31 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए था। अतः, सामान के मामले में अग्रिम प्राप्त पर कर देय नहीं होता।

### 3.

क्र. सं.	सामान की प्राप्ति की तिथि	सामान के प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	वस्तु सप्लाय कर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि	चालान की तिथि से 30 दिनों के तुरंत बाद की तिथि	सामान की सप्लाय का समय [निर्धारित तिथियाँ (1), (2) एवं (4) में से पहले वाली]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	जुलाई 1	अगस्त 10	जून 29	जुलाई 30	जुलाई 1

(ii)	जुलाई 1	जून 25	जून 29	जुलाई 30	जून 25
(iii)	जुलाई 1	आंशिक भुगतान <b>30 जून</b> को किया गया और शेष राशि <b>20 जुलाई</b> को चुकाई गई।	जून 29	जुलाई 30	आंशिक भुगतान के लिए <b>30 जून</b> और शेष राशि के लिए <b>1 जुलाई</b> ।
(iv)	जुलाई 5	भुगतान <b>28 जून</b> को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और <b>30 जून</b> को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया।	जून 1	जुलाई 2	28 जून (अर्थात् जब भुगतान प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया हो)
(v)	जुलाई 1	भुगतान <b>30 जून</b> को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और <b>26 जून</b> को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया।	जून 29	जुलाई 30	<b>26 जून</b> (अर्थात् जब भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया हो)
(vi)	अगस्त 1	अगस्त 10	जून 29	जुलाई 30	<b>30 जुलाई</b> (अर्थात् चालान जारी होने के <b>31वें दिन</b> )

4.

क्रमांक.	सेवाओं की सप्लाई के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान की तिथि	सेवाओं के प्रदाता द्वारा चालान जारी करने की तिथि	चालान की तारीख से 60 दिन पूरे होने के तुरंत बाद की तिथि	सामान की सप्लाई का समय [इनमें से पहले वाला: (1) एवं (3)]
	(1)	(2)	(3)	
(i)	अगस्त 10	जून 29	अगस्त 29	अगस्त 10
(ii)	अगस्त 10	जून 1	अगस्त 1	अगस्त 1
(iii)	आंशिक भुगतान 30 जून को किया गया और शेष राशि 1 सितंबर को चुकाई गई।	जून 29	अगस्त 29	आंशिक भुगतान के लिए 30 जून और शेष राशि के लिए 29 अगस्त।
(iv)	भुगतान 28 जून को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और 30 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया।	जून 1	अगस्त 1	28 जून (अर्थात् जब भुगतान प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया हो)
(v)	भुगतान 30 जून को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया और 26 जून को प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया।	जून 29	अगस्त 29	26 जून (अर्थात् जब भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में डेबिट किया गया हो)

5. रिवर्स चार्ज के तहत कर योग्य सेवा की आपूर्ति का समय भाग13(3) के अनुसार निम्नलिखित दोनों तिथियों में से पहले वाला है:

- भुगतान की तिथि
- चालान जारी करने की तारीख से 61वां दिन, उन मामलों में जहाँ चालान प्रदाता द्वारा जारी करना आवश्यक हो
- चालान जारी करने की तिथि प्राप्तकर्ता द्वारा, उन मामलों में जहाँ चालान प्राप्तकर्ता द्वारा जारी करना हो

इस मामले में, भुगतान की तिथि सेवा प्रदाता द्वारा चालान जारी करने की तारीख से 61वें दिन से पहले है। अतः भुगतान की तिथि, अर्थात् 17 जून, को सेवा की आपूर्ति का समय माना जाएगा [भाग13(3)( ए)]।

6. चूँकि चालान निर्धारित समय अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया है, इसलिए सेवा की आपूर्ति का समय भाग13(2)(बी) के अनुसार निम्नलिखित दोनों तिथियों में से पहले वाला होगा:

- सेवा प्रदान करने की तिथि
- भुगतान प्राप्त करने की तिथि

भुगतान 5 जनवरी को प्राप्त हुआ था और सेवा 23 अप्रैल को प्रदान की गई थी। इसलिए, भुगतान की तिथि, अर्थात् 5 जनवरी, इस मामले में सेवा की आपूर्ति का समय है।

7. सूचना संख्या 66/2017 सीटी, दिनांक 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (संयोजन आपूर्ति कर्ता और निर्दिष्ट लागू दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर) को भाग12(2)( ए) में निर्दिष्ट आपूर्ति के समय पर सामान की बाह्य आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करना होगा, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन चालान भाग31 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए था।

इस मामले में, चूँकि चालान जारी नहीं किया गया है, कर भुगतान के उद्देश्य से आपूर्ति का समय वह अंतिम तिथि होगी जिस दिन चालान जारी करना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में, सामान की आपूर्ति के लिए चालान सामान के प्रेषण से पहले या उसी दिन, अर्थात् 2 अगस्त को जारी किया जाना आवश्यक है। अतः सामान पर कर भुगतान के उद्देश्य से आपूर्ति का समय 2 अगस्त होगा, वह तिथि जब चालान जारी किया जाना चाहिए था।

8. सूचना संख्या 66/2017 सीटी, दिनांक 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (संयोजन आपूर्ति कर्ता और निर्दिष्ट लागू दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर) को भाग12(2)( ए) में निर्दिष्ट आपूर्ति के समय पर सामान की बाह्य आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करना होगा, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन चालान भाग31 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए था।

इस मामले में, चालान सामान के प्रेषण से पहले जारी किया गया है और इसलिए यह भाग31(1) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर है। अतः कर भुगतान के उद्देश्य से आपूर्ति का समय चालान जारी करने की तिथि, अर्थात् 2 दिसंबर है।

9. किसी व्यवसायिक इकाई को कानूनी सेवाओं के रूप में वकीलों के एक फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर रिवर्स चार्ज के तहत उक्त वकीलों के फर्म द्वारा देय होगा। रिवर्स चार्ज के तहत कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति का समय भाग13(3) के अनुसार निम्नलिखित दोनों तिथियों में से पहले वाला है:

- भुगतान की तिथि
- चालान जारी करने की तारीख से 61वां दिन, उन मामलों में जहाँ चालान प्रदाता द्वारा जारी करना आवश्यक हो
- चालान जारी करने की तिथि प्राप्तकर्ता द्वारा, उन मामलों में जहाँ चालान प्राप्तकर्ता द्वारा जारी करना हो

भुगतान की तिथि सेवा प्रदाता द्वारा चालान जारी करने की तारीख से 61वें दिन के बाद आती है। अतः सेवा की आपूर्ति का समय सेवा प्रदाता के चालान की तारीख से 61वां दिन माना जाएगा। इस प्रकार, आपूर्ति का समय 19 अप्रैल निर्धारित होता है।

10. यदि चालान समय पर जारी नहीं किया गया है, तो सेवाओं की आपूर्ति का समय भुगतान की तिथि या सेवा प्रदान करने की तिथि में से जो पहले हो, वह होगा [भाग13(2)(बी)]। इस मामले में, सेवा 5 सितंबर को प्रदान की गई लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान जारी नहीं किया गया। अतः सेवा प्रदान करने की तिथि, अर्थात् 5 सितंबर, भुगतान की तारीख से पहले होने के कारण आपूर्ति का समय होगी।

11. यदि चालान सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया गया है, तो सेवाओं की आपूर्ति का समय चालान जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि में से जो पहले हो, वह होगा [भाग13(2)( ए)]।

यदि चालान सेवा की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी नहीं किया गया है, तो सेवाओं की आपूर्ति का समय सेवा प्रदान करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि में से जो पहले हो, वह होगा [भाग13(2)(बी)]।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, चार स्वतंत्र मामलों में सेवाओं/सामान की आपूर्ति का समय निम्नानुसार होगा:

- (1) अगस्त, क्योंकि सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर चालान जारी नहीं किया गया।
- (2) 7 सितंबर, क्योंकि चालान सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर जारी किया गया और भुगतान चालान जारी होने के बाद प्राप्त हुआ।
- (3) 3 अगस्त, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि (7 सितंबर) और भुगतान प्राप्त करने की तिथि (3 अगस्त) में पहले वाला।
- (4) 7 सितंबर, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि (7 सितंबर) और भुगतान प्राप्त करने की तिथि (15 सितंबर) में पहले वाला।

- 12.** (i) किसी रिकवरी एजेंट द्वारा, अन्य के अलावा, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर रिवर्स चार्ज के तहत उक्त एनबीएफसी द्वारा देय होगा।

अतः दिए गए मामले में जीएसटी भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एनबीएफसी – न्यूटन क्रेडिट्स लिमिटेड है।

- (ii) भाग 13(3) के अनुसार, उस सेवा की आपूर्ति का समय जिस पर रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देय है, निम्नलिखित में से पहले वाला होगा:

- भुगतान की तिथि, जो प्राप्तकर्ता की लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है (18 अप्रैल) या वह तिथि जिस दिन भुगतान उसके बैंक खाते में डेबिट किया गया (20 अप्रैल), इनमें से पहले वाला;
- चालान जारी होने की तारीख से 60 दिन पूरे होने के तुरंत बाद की तिथि, उन मामलों में जहाँ चालान प्रदाता द्वारा जारी करना आवश्यक हो, अर्थात् 9 अप्रैल, या

अतः सेवा की आपूर्ति का समय 9 अप्रैल है।

- 13.** भाग 12(6) के अनुसार, ब्याज, विलंब शुल्क या दंड, या मूल्यवर्धन के कारण अतिरिक्त भुगतान की आपूर्ति का समय उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन प्रदाता ने ऐसा अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया।



अतः ब्याज के संबंध में आपूर्ति का समय उस तिथि होगी जिस दिन प्रदाता ने ऐसा अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया, अर्थात् 2 फरवरी।

- 14.** संख्या 66/2017 सीटी, दिनांक 15.11.2017 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (संयोजन आपूर्ति कर्ता और निर्दिष्ट लागू दावों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को छोड़कर) को सामान की बाह्य आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।

भाग 31. भाग 12(2)(ए) में निर्दिष्ट आपूर्ति के समय पर, अर्थात् चालान जारी करने की तिथि या वह अंतिम तिथि जिस दिन चालान भाग 31 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत व्यक्ति को सामान की आपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ता को प्रेषण से पहले या उसी समय कर चालान जारी करना आवश्यक है। अतः दिए गए मामले में, सामान की आपूर्ति के लिए चालान सामान के प्रेषण से पहले या उसी दिन, अर्थात् 3 अक्टूबर को जारी किया जाना चाहिए था।

हालांकि, चूँकि चालान निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी नहीं किया गया है, कर भुगतान के उद्देश्य से आपूर्ति का समय वह अंतिम तिथि होगी जिस दिन चालान जारी करना आवश्यक है, अर्थात् 3 अक्टूबर।



## आड़े

2. रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर योग्य सेवा के लिए आपूर्ति का समय वह होगा जो निम्न में से पूर्व हो: भुगतान की तिथि, या आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि से \_\_\_\_\_ दिनों के तत्पश्चात् की तिथि, उन मामलों में जहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी किया जाना अपेक्षित है।
3. माल की आपूर्ति के लिए \_\_\_\_\_ की प्राप्ति के समय जीएसटी देय नहीं है।

6. किराना स्टोर से किसी खाद्य वस्तु के बदले विनिमेय वाउचर की आपूर्ति का समय वाउचर की \_\_\_\_\_ की तिथि है।
8. सेवाओं की आपूर्ति का समय वह तिथि होगी जब चालान जारी किया गया है, यदि चालान सेवा की \_\_\_\_\_ की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया गया है, या भुगतान प्राप्ति की तिथि – जो भी पहले हो।
9. आपूर्ति का समय उस समय बिंदु को दर्शाता है जब \_\_\_\_\_ कर की देयता उत्पन्न होती है।

## नीचे

1. पिञ्जा आउटलेट पर पिञ्जा के लिए विनिमेय वाउचर की आपूर्ति का समय वाउचर की \_\_\_\_\_ की तिथि है।
4. यदि वाउचर जारी करने के समय सेवा की आपूर्ति की पहचान नहीं हो पाती है, तो सेवा के बदले विनिमेय \_\_\_\_\_ की आपूर्ति का समय वाउचर के भुनाने की तिथि होगी।
5. सेवाओं के बदले विनिमेय वाउचर की आपूर्ति का समय वाउचर जारी करने की तिथि है यदि आपूर्ति वाउचर जारी करने के समय \_\_\_\_\_ हो।
6. विलंबित भुगतान पर ब्याज की आपूर्ति का समय उस अतिरिक्त मूल्य की आपूर्तिकर्ता द्वारा \_\_\_\_\_ की तिथि है।
7. शेष मामलों में रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपूर्ति किए गए माल की आपूर्ति का समय वह तिथि है जिस दिन माल प्राप्तकर्ता के खाते के \_\_\_\_\_ में दर्ज किया जाता है।

इस अध्याय के क्विज़ टाइम और क्रॉसवर्ड पज़ल के एमसीक्यू के उत्तर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्यूआर कोड स्कैन करें।



कोड स्कैन करें

## वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा किए गए जीएसटी संशोधन

वित्त अधिनियम, 2025 दिनांक 29.03.2025 से प्रभावी हो गया है। तथापि, वित्त अधिनियम, 2025 के तहत सी.जी.एस.टी. अधिनियम एवं आई.जी.एस.टी. अधिनियम में किए गए अधिकांश संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में सूचित कोई प्रभावी तिथि जारी न करे। ऐसी कोई सूचना दिनांक 30.04.2025 तक जारी नहीं की गई है। अतः मई 2026, सितंबर 2026 एवं/या जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए उक्त संशोधनों की लागूता अथवा अप्रभाविता के संबंध में आईसीएआई द्वारा एक घोषणा के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नीचे दी गई तालिका में, भाग 12(4) एवं 13(4) के वर्तमान प्रावधानों की तुलना वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधानों से की गई है।

जैसे ही आईसीएआई द्वारा परीक्षा(ओं) के लिए ऐसे संशोधनों की लागूता के संबंध में घोषणा की जाएगी, छात्रों को इस अध्याय में चर्चा किए गए संबंधित प्रावधानों के स्थान पर यहां दिए गए संशोधित प्रावधानों का अध्ययन करना चाहिए।

खंड संख्या	मौजूदा प्रावधान	वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधान	टिप्पणी
12(4)	<p>विक्रेता द्वारा वाउचर की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति का समय होगा-</p> <p>(क) यदि उस समय आपूर्ति पहचान योग्य हो, तो वाउचर जारी करने की तिथि; या</p> <p>(ख) अन्य सभी मामलों में वाउचर भुनाने की तिथि।</p>	हटाया गया	वाउचर से संबंधित आपूर्ति के समय के संबंध में भाग 12 की उपभाग (4) को हटाया जाना है।

<b>13(4)</b>	विक्रेता द्वारा वाउचर की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति का समय होगा—  (क) यदि उस समय आपूर्ति पहचान योग्य हो, तो वाउचर जारी करने की तिथि; या  (ख) अन्य सभी मामलों में वाउचर भुनाने की तिथि।	<b>हटाया गया</b>	वाउचर से संबंधित आपूर्ति के समय के संबंध में भाग 13 की उपभाग (4) को हटाया जाना है।
--------------	---	------------------	--